गोपनीय

2014 का विधेयक सं. 14

राजस्थान वित्त विधेयक, 2014

(जैसा कि राजस्थान विधानसभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने एवं कतिपय अन्य प्रावधान करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990, राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962, राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950, राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान राज्य में कतिपय वस्तुओं के विक्रय या क्रय पर अवसंरचना विकास उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 है।

2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.- राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45 और 46 के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

अध्याय 2
राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

3. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "दो लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 16 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) में विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ख) के पूर्व निम्नलिखित उप-खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(कक) किसी व्यवहारी ने उसके कारबार के मुख्य स्थान पर कारबार बंद कर दिया हो; या"।

5. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 18 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 18 में विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) उप-धारा (1) के अधीन आगत कर मुजरा केवल विक्रय व्यवहारी द्वारा, ऐसी रीति से जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाये, संदेय कर के जमा होने के सत्यापन के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जायेगा।"।

6. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 20 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 20 में,-

(i) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "छह प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बीस प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप-धारा (2क) हटायी जायेगी।

http://finance.rajasthan.gov.in

7. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 22 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 22 की विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(4) इस धारा के अधीन कोई भी आदेश उस वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के पश्चात् पारित नहीं किया जायेगा।"।

8. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 23 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 23 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**23. स्वनिर्धारण.-** प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिसने उस वर्ष के लिये, धारा 21 के उपबंधों के अनुसार समस्त विवरणियां प्रस्तुत कर दी हैं, या धारा 73 के उपबंधों में यथा-अनुध्यात लेखापरीक्षा रिपोर्ट, धारा 21 के उपबंधों के अनुसार समस्त विवरणियों सहित धारा 24 की उप-धारा (2) के अधीन किसी सूचना के जारी होने से पूर्व प्रस्तुत कर दी है, वह धारा 24 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी विवरणियों या, यथास्थिति, ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा।"।

9. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 24 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**24. निर्धारण.-** (1) किसी व्यवहारी का निर्धारण एक वर्ष के लिए होगा और उस वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी दिये जाने की अंतिम तारीख के पश्चात् किया जायेगा। तथापि, बंद कारबार का निर्धारण इसके बंद किये जाने के तुरंत पश्चात् किया जा सकेगा।

(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा दी गयी प्रत्येक विवरणी उसके सही होने का सत्यापन करने के लिए ऐसी संवीक्षा के अध्यधीन होगी, जो आयुक्त द्वारा अवधारित की जाये और यदि किसी विवरणी या विवरणियों में गलती का पता चलता है तो निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, गलतियों का सुधार करने के लिये व्यवहारी को विहित प्ररूप में एक नोटिस

http://finance.rajasthan.gov.in

तामील करेगा और व्यवहारी ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाये, पुनरीक्षित विवरणी फाइल कर सकेगा।

(3) जहां कोई व्यवहारी, उप-धारा (2) के अधीन जारी नोटिस के अनुसरण् में,-

(क) नोटिस के निबंधनों के अनुसार पुनरीक्षित विवरणी या, यथास्थिति, विवरणियां देता है और कर, ब्याज, विलम्ब फीस, यदि कोई हो, निक्षिप्त कराता है वहां उसे धारा 23 के अधीन निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा;

(ख) पुनरीक्षित विवरणी या, यथास्थिति, विवरणियां नहीं देता है, या व्यवहारी द्वारा दी गयी पुनरीक्षित विवरणी या, यथास्थिति, विवरणियां नोटिस के निबंधनों के अनुसार नहीं है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, व्यवहारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर व्यवहारी का अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करेगा।

(4) जहां कोई व्यवहारी धारा 21 के उपबंधों के अनुसार विवरणी देने में विफल रहता है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, व्यवहारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर व्यवहारी का अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करेगा और विवरणी फाईल नहीं करने के लिए प्रत्येक विवरणी के लिए न्यूनतम पांच हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, शुद्ध संदेय कर के बीस प्रतिशत के बराबर रकम की शास्ति अधिरोपित करेगा।

(5) इस धारा के अधीन कोई भी निर्धारण आदेश सुसंगत वर्ष के समाप्त होने से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा। तथापि, आयुक्त, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी विशेष मामले में ऐसी समय-सीमा को छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए बढा सकेगा।

(6) उप-धारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन, किसी निर्धारण से संबंधित कोई कार्यवाही कर बोर्ड या

http://finance.rajasthan.gov.in

किसी सक्षम न्यायालय या अन्य किसी प्राधिकरण के समक्ष, न्यायनिर्णयन के अध्यधीन है, वहां ऐसे मामलों में निर्धारण, ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम न्यायनिर्णयन से दो वर्ष के भीतर-भीतर पारित किया जा सकेगा। दो वर्ष की परिसीमा की गणना निर्धारण प्राधिकारी को ऐसे अंतिम न्यायनिर्णयन के आदेश के संसूचना की तारीख से की जायेगी।"।

10. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 25 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 25 में विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां उप-धारा (1) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, वहां ऐसा नोटिस जारी करने वाला प्राधिकारी सुसंगत वर्ष के लिए कर निर्धारण करने के लिए सक्षम होगा।

(5) उप-धारा (1) के अधीन कोई भी नोटिस सुसंगत वर्ष की समाप्ति से पांच वर्षों की समाप्ति के पश्चात् जारी नहीं किया जायेगा।

(6) उप-धारा (3) और (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां निर्धारण से संबंधित कोई कार्यवाही कर बोर्ड या किसी सक्षम न्यायालय या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष न्यायनिर्णयन के अध्यधीन है, वहां ऐसे मामलों में निर्धारण ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम न्यायनिर्णयन से दो वर्ष के भीतर-भीतर पारित किया जा सकेगा। दो वर्ष की परिसीमा की संगणना ऐसे अंतिम न्यायनिर्णयन के आदेश की निर्धारण प्राधिकारी को संसूचना की तारीख से की जायेगी।"।

11. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 26 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 26 में,-

(i) उप-धारा (1) का विद्यमान स्पष्टीकरण हटाया जायेगा; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) सुसंगत वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उप-धारा (1) के अधीन का कोई भी नोटिस जारी नहीं किया

http://finance.rajasthan.gov.in

जायेगा, और आठ वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कोई भी निर्धारण नहीं किया जायेगा।

(3क) उपर्युक्त उप-धारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण से संबंधित कोई कार्यवाही कर बोर्ड या किसी सक्षम न्यायालय या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के न्यायनिर्णयन के अधीन हो तो ऐसे मामलों में निर्धारण ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम न्यायनिर्णयन से दो वर्ष के भीतर-भीतर जारी किया जा सकेगा। दो वर्ष की परिसीमा की गणना ऐसे अंतिम न्यायनिर्णयन आदेश के निर्धारण प्राधिकारी को संसूचना की तारीख से की जायेगी।"।

12. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 27 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 27 में विद्यमान उप-धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(6) सुसंगत वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उप-धारा (4) के अधीन कोई नोटिस जारी नहीं किया जायेगा और आठ वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई भी निर्धारण नहीं किया जायेगा।

(7) उप-धारा (6) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां निर्धारण से संबंधित कोई कार्यवाही कर बोर्ड या किसी सक्षम न्यायालय या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के न्यायनिर्णयन के अधीन हो तो ऐसे मामले में निर्धारण ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम न्यायनिर्णयन से दो वर्ष के भीतर-भीतर जारी किया जा सकेगा। दो वर्ष की परिसीमा की गणना ऐसे अंतिम न्यायनिर्णयन आदेश के निर्धारण प्राधिकारी को संसूचना की तारीख से की जायेगी।"।

13. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 38 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 38 की विद्यमान उप-धारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(7) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी राज्य सरकार, समय-समय पर यथासंशोधित रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) के अधीन रूग्ण घोषित

http://finance.rajasthan.gov.in

किसी रूग्ण औद्योगिक इकाई द्वारा संदेय मांग की वसूली को, ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी शर्तों पर, ब्याज के संदाय या दर के संबंध में ऐसी सीमा तक, आस्थगित कर सकेगी, जो उचित समझी जाये।"।

14. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 में धारा 51ख का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 51क के पश्चात् और विद्यमान धारा 52 के पूर्व निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"51ख. कर की रिबेट.- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जायें, चाहे भविष्यलक्षी प्रभाव से या भूतलक्षी प्रभाव से, ऐसे व्यवहारियों या व्यवहारियों के वर्ग को, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, कर की पूरी रकम तक रिबेट अनुज्ञात कर सकेगा।"।

15. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 53 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 53 की विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(4) जहां किसी रकम का प्रतिदाय किसी व्यवहारी को देय हो जाये, वहां वह प्रतिदाय की रकम के अतिरिक्त, उस वर्ष, जिससे कि वह संबंधित है, के ठीक पश्चात्वर्ती वर्ष की 1 अप्रेल से संदाय की तारीख तक ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा:

परन्तु जहां व्यवहारी ने वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कर की कोई रकम संदत्त कर दी है और ऐसी रकम प्रतिदत्त की जानी अपेक्षित है वहां ऐसी रकम के जमा किये जाने की तारीख से पूर्व की कालावधि पर कोई ब्याज संदेय नहीं होगा।"।

16. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 61 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 61 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) जहां किसी व्यवहारी ने-

http://finance.rajasthan.gov.in

(क) उसके द्वारा दी गयी किसी विवरणी में माल के विक्रय का कराधेय पण्यावर्त इस अधिनियम के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट कर की दर की बजाय कर की निम्नतर दर पर प्रकट किया है या उसके द्वारा दी गयी विवरणी में उसने जानबूझकर अन्यथा गलत विशिष्टियां दी हों; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संधारित किये जाने के लिए अपेक्षित अपने लेखाओं, रजिस्टरों या दस्तावेजों में विक्रय या क्रय के किसी भी संव्यवहार को, इस अधिनियम के अधीन यथाविनिर्दिष्ट कर की दर की अपेक्षा निम्नतर दर से समाविष्ट की हो; या

(ग) उसके द्वारा दी गयी किसी भी विवरणी से कोई भी विशिष्टियां छिपा ली हों; या

(घ) इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संधारित किये जाने के लिए अपेक्षित अपने लेखाओं रजिस्टरों या दस्तावेजों में विक्रय या क्रय के कोई भी संव्यवहार छिपाये हों; या

(ङ) इस अधिनियम की धारा 11 के अधीन यथा अपेक्षित स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराने में विफल रहता है और कर का परिवर्जन किया हो; या

(च) किसी भी अन्य रीति से कर का परिवर्जन या अपवंचन किया हो,

वहां निर्धारण प्राधिकारी या सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न रैंक का कोई अधिकारी, जो आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया जाये, सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, उस पर शास्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के अतिरिक्त परिवर्जित या अपवंचित कर की रकम के दोगुने के बराबर राशि उस पर अधिरोपित करेगा।"।

17. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 67 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 67 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसी अवधि के साधारण कारावास से जो छह मास तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगा और खण्ड (ख), (ग), (च), (छ) और (झ) के अधीन आने

http://finance.rajasthan.gov.in

वाले अपराधों के लिए तीन मास के सादा कारावास के न्यूनतम दण्डादेश से दण्डनीय होगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति-

"(I) खण्ड (ग) या (झ) के अधीन वर्णित अपराधों के लिए या ऐसे अपराधों के लिए जहां खण्ड (घ) के अधीन मांग नोटिस की रकम एक करोड़ रुपये से अधिक हो, वहां ऐसी अवधि के सादा कारावास से जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा किन्तु न्यूनतम दण्डादेश छह मास के सादा कारावास और पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा; और

(II) खण्ड (I) के अंतर्गत नहीं आने वाले अन्य अपराधों के लिए ऐसी अवधि के सादा कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।"

प्रतिस्थापित की जायेगी।

18. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 91 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 91 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"91. आयुक्त की साधारण शक्तियां.- (1) आयुक्त, इस अधिनियम के निष्पादन में नियोजित समस्त अधिकारियों और व्यक्तियों को समय-समय पर ऐसे आदेश, अनुदेश और निदेश जारी कर सकेगा जो वह इस अधिनियम के प्रशासन के लिए ठीक समझे और ऐसे समस्त अधिकारी और व्यक्ति आयुक्त के ऐसे आदेशों, निदेशों और निर्देशों का पालन और अनुसरण करेंगे।

(2) शासकीय उपयोग के प्रयोजनों के लिए आयुक्त, किसी भी समाचार पत्र में या ऐसी अन्य रीति से, जो वह उचित समझे, नोटिस देकर सभी व्यवहारियों से या व्यवहारियों के किसी भी वर्ग से या व्यक्तियों से ऐसी सूचना, विवरण या विवरणी देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो इस निमित जारी किये गये नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये।

http://finance.rajasthan.gov.in

(3) उप-धारा (1) के अधीन जारी किये गये ऐसे कोई भी आदेश, अनुदेश, निदेश जारी नहीं किये जायेंगे जो किसी अपील प्राधिकारी के उसके अपीलीय कृत्यों के प्रयोग के विवेकाधिकार में हस्तक्षेप करते हों।

(4) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयुक्त स्वप्रेरणा से या इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा आवदेन करने पर, निर्धारणों और राजस्व के संग्रहण के कार्य में एकरूपता बनाये रखने के प्रयोजन के लिए, यदि वह ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझता है तो इस अधिनियम के अधीन दायी माल के संबंध में इस अधिनियम के अधीन संदेय कर की दर स्पष्ट कर सकेगा और इस अधिनियम के निष्पादन में नियोजित समस्त अधिकारी और व्यक्ति ऐसे स्पष्टीकरण का पालन और अनुसरण करेंगे।

(5) उप-धारा (4) के अधीन ऐसा कोई भी आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि इसके साथ ऐसी फीस, जो ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, संदत्त की जाये के संदाय का सबूत संलग्न न हो।"।

19. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 95 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 95 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) जहां किसी व्यवहारी या उसके कारबार प्रबंधक द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग की राजकीय वेबसाइट के माध्यम से कोई विवरणी, आवेदन, संसूचना या सूचना इलेक्ट्रोनिक रूप से प्रस्तुत की जाती है, वहां ऐसी विवरणी, आवेदन, संसूचना या सूचना उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी समझी जायेगी यदि उस व्यवहारी या कारबार प्रबंधक या व्यक्ति ने विहित रीति से इस ई-फाईलिंग के लिए वेबसाइट का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति दी है:

परन्तु ऐसा व्यवहारी या कारबार प्रबंधक या व्यक्ति जिसने विभाग की राजकीय वेबसाइट का उपयोग करने की सहमति दी हो, वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत किये गये ऐसे ई-दस्तावेजों को अस्वीकार या उनका प्रत्याख्यान नहीं करेगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

(3) जहां कोई नोटिस, संसूचना या सूचना किसी व्यवहारी या उसके कारबार प्रबंधक या अन्य व्यक्ति पर वाणिज्यिक कर विभाग की राजकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से तामील की जाती है तो उक्त नोटिस, संसूचना या सूचना केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि यह व्यक्तिगत रूप में हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित नहीं है या यह समुचित रूप से तामील नहीं हुई है।"।

20. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 96 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 96, दिनांक 5 अक्टूबर, 2014 से हटायी जायेगी।

अध्याय 3
राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 में संशोधन

21. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 12 का संशोधन.- राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 12 में,-

(i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "विलास कर अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विलास कर अधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी जो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो," प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "विलास कर अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विलास कर अधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी जो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो," प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) उप-धारा (7) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "विलास कर अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विलास कर अधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी जो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो," प्रतिस्थापित की जायेगी।

http://finance.rajasthan.gov.in

22. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 20 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 20 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे कर या मांग की रकम के दो प्रतिशत की दर से" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "ऐसी दर से जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये," प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 4
राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 में संशोधन

23. 1962 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12) की धारा 3 के परंतुक के विद्यमान खण्ड (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और सदैव प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(3) जब राज्य सरकार का यह मत हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग द्वारा उपभुक्त ऊर्जा पर संदेय विद्युत शुल्क के संदाय से, चाहे भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से, बिना किसी शर्त के या ऐसी शर्त के साथ जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, पूर्णत: या भागत: छूट दे सकेगी।"।

अध्याय 5
राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 में संशोधन

24. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है,-

(i) विद्यमान खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और सदैव से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(1) "ऐड्रेसेबुल सिस्टम" का अर्थ है एक इलेक्ट्रानिक उपकरण (डिवाइस) अथवा किसी समेकित प्रणाली में प्रयुक्त एक से अधिक इलेक्ट्रानिक उपकरण जिसके माध्यम से टेलीविजन संकेत और मूल्य

http://finance.rajasthan.gov.in

परिवर्धित सेवाएं एन्क्रिप्टिड अथवा अनएन्क्रिप्टिड रूप में प्रेषित की जा सकती है, जिन्हें सेवा प्रदाता द्वारा ग्राहक की पसंद और अनुरोध पर प्रदत्त प्राधिकार की सीमाओं में ग्राहक के परिसर में उपकरण या उपकरणों द्वारा डिकोडिड किया जा सकेगा;

(1क) "प्रवेश" में, किसी दर्शक के रूप में या किसी श्रोता के रूप में प्रवेश और मनोविनोद के प्रयोजनार्थ किसी मनोरंजन में भाग लेने हेतु प्रवेश सम्मिलित है और केबल टेलीविजन नेटवर्क और डाइरेक्ट-टू-होम प्रसारण सेवा के माध्यम से मनोरंजन के मामले में किसी ग्राहक को दिया गया प्रत्येक कनेक्शन, प्रवेश समझा जायेगा;"।

(ii) विद्यमान खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और सदैव से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

(2) "किसी मनोरंजन में प्रवेश" के अंतर्गत किसी ऐसे स्थान पर प्रवेश भी है, जिसमें मनोरंजन का आयोजन किया गया हो और केबल सेवा और डाइरेक्ट-टू-होम (प्रसारण) सेवा के जरिए केबल कनेक्शन सहित या केबल कनेक्शन रहित मनोरंजन के मामले में, किसी ग्राहक को दिये गये प्रत्येक कनेक्शन को मनोरंजन में प्रवेश समझा जायेगा;"।

(iii) खण्ड (4क) निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(4क) "डाइरेक्ट-टू-होम प्रसारण सेवा" का अर्थ है किसी उपग्रह प्रणाली का उपयोग करते हुए बिना किसी मध्यस्थ या अन्य किसी माध्यम के, ग्राहकों को सीधे मल्टी-चैनल टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रमों और समान विषय वस्तु का वितरण;"।

(iv) खण्ड (6) निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा और सदैव से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

http://finance.rajasthan.gov.in

"(6) "मनोरंजन-कर" से वह कर अभिप्रेत है जो धारा 4 और 4कक के अधीन उद्‌गृहीत और प्रभारित किया जाये और इसमें धारा 6क के अधीन संदेय अतिरिक्त कर सम्मिलित है।"

(v) खण्ड (7) में,-

(i) उप-खण्ड (घ) के अन्त में आये विद्‌यमान विराम चिन्ह ":" के स्थान पर विराम चिन्ह ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-खण्ड (घ) के पश्चात् और विद्‌यमान परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ङ) वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 32) के अधीन संदत्त सेवा कर को अपवर्जित करते हुए, केबल सेवा के लिए किसी व्यक्ति द्‌वारा अंशदान, अभिदान, प्रतिष्ठापन, संस्थापन या कनेक्शन शुल्क या कोई अन्य शुल्क, चाहे किसी भी रीति से संगृहीत किया गया हो, के रूप में किया गया कोई संदाय;

(च) वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 32) के अधीन संदत्त सेवा कर को अपवर्जित करते हुए, किसी व्यक्ति द्‌वारा किया गया कोई संदाय, जो केबल सेवा के माध्यम से या डायरेक्ट-टू-होम प्रसारण सेवा के माध्यम से टेलीविजन संकेतों और मूल्य परिवर्धित सेवाओं के वितरण के लिए किसी प्रकार के ऐड्रेसेबुल सिस्टम, जो किसी टेलीविजन सेट, कम्प्यूटर प्रणाली को ग्राहक के परिसर के आवासीय या गैर आवासीय स्थान पर सीधे उपग्रह अथवा अन्य माध्यम से जोड़ता है, की सहायता से मनोरंजन के लिए अंशदान, अभिदान, प्रतिष्ठापन, संस्थापना अथवा कनेक्शन शुल्क अथवा वसूल किये गये किसी अन्य प्रकार के शुल्क के रूप में किया गया हो।"।

(vi) खण्ड (8) निम्नलिखित के द्‌वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

http://finance.rajasthan.gov.in

"(8)"स्वत्वधारी" में, किसी मनोरंजन के संबंध में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होगा जो,-

(क) मनोरंजन के किसी संगठन से जुड़ा हो, या

(ख) मनोरंजन में प्रवेश के कार्य से प्रभारित हो, या

(ग) उसके प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हो या तत्समय उसका प्रभारी हो, या

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 13) की धारा 4, और भारतीय बेतार तार यान्त्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 17) के अधीन डायरेक्ट-टू-होम प्रसारण सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस रखने वाले और इसके अंतर्गत केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम (1995 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 7) के अधीन पंजीकृत या लाइसेंस-प्राप्त केबल टेलीविजन संकेत एवं मूल्य परिवर्धित सेवा प्रदाता भी है;"

(vii) विद्यमान खण्ड (11क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और सदैव से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(11क) "ग्राहक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो टेलीविजन नेटवर्क और मूल्य परिवर्धित सेवाओं के संकेत किसी स्वत्वधारी से उस स्थान पर प्राप्त कर रहा है, जिसका उल्लेख उसने सेवा प्रदाता के समक्ष किया हो, और वह किसी अन्य व्यक्ति को संकेत पारेषित न कर रहा हो:

परन्तु केबल टेलीविजन नेटवर्क के संकेतों के आगे पारेषण के मामले में प्रत्येक कमरे या परिसर को जहां केबल टेलीविजन नेटवर्क के संकेत प्राप्त किये जा रहे हों, एक ग्राहक समझा जायेगा:

परन्तु यह और कि डायरेक्ट-टू-होम प्रसारण के मामले में, संकेत प्राप्त करने वाले प्रत्येक टेलीविजन सेट या कम्प्यूटर सेट को एक ग्राहक समझा जायेगा।"।

http://finance.rajasthan.gov.in

25. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) मे, अभिव्यक्ति "किसी मनोरंजन कर में प्रवेश के लिए" के पश्चात् और अभिव्यक्ति "समस्त संदानों पर" के पश्चात् अभिव्यक्ति ", उस मनोरंजन जिस पर धारा 4 कक लागू होती है के अतिरिक्त", अन्त:स्थापित की जायेगी।

26. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 4कक का संशोधन.- (1) मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4कक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"4कक. केबल सेवा और डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा पर कर का उद्ग्रहण.- (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, केबल सेवा और डायरेक्ट-टू-होम प्रसारण सेवा या केबल सेवा के माध्यम से या एड्रेसेबुल सिस्टम सहित या उससे रहित केबल टेलीविजन के माध्यम से किसी मनोरंजन में प्रवेश के लिए सभी संदायों पर, ग्राहकों द्वारा, जिन पर धारा 4 लागू होती है, उनको छोड़कर, प्रत्येक ग्राहक के लिए प्रवेश के लिए संदाय के बीस प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर पर जैसीकि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाये, मनोरंजन कर प्रभारित, उद्गृहीत और संदत्त किया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार इस धारा के अधीन संदेय कर के लिए नियत रकम के रूप में कर की दर के रूप में ऐसी निश्चित रकम नियत कर सकेगी, जैसी कि अधिसूचित की जाये, किन्तु जो प्रति ग्राहक प्रतिमास, पचास रुपये या उसके भाग से अधिक नहीं होगी।

(3) उप-धारा (1) की कोई भी बात राज्य सरकार को किसी गृहस्थी के लिए या होटलों के भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के लिए मनोरंजन कर की भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित करने से प्रवारित नहीं करेगी।

(4) जहां ग्राहक कोई होटल या रेस्टोरेन्ट हो, वहां स्वत्वधारी उप-धारा (1) के अधीन संदाय के बजाय राज्य सरकार को एक समेकित संदाय, ऐसी शर्तों और ऐसी रीति से कर सकेगा जो विहित की जाये और ऐसी दर से जो राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे तथा भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के होटलों और रेस्टोरेंटों के लिए समेकित संदायों की भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित की जा सकेंगी।"।

http://finance.rajasthan.gov.in

27. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 4ककक का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4ककक हटायी जायेगी।

28. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 5ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5ख की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति ",4ककक" हटायी जायेगी।

29. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 6 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 6 में,-

(i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "यह बताने वाला हो कि" के पश्चात् और अभिव्यक्ति "समुचित मनोरंजन कर" के पूर्व अभिव्यक्ति "धारा 4 के अधीन संदेय" अन्त: स्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "इस अधिनियम" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन मनोरंजन" के पूर्व अभिव्यक्ति "की धारा 4" अन्त: स्थापित की जायेगी।

30. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 8 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"8. प्रतिदाय.- (1) जहां इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्वत्वधारी या किसी व्यक्ति को कोई रकम प्रतिदेय हो तो विहित प्राधिकारी, ऐसी रकम की जमा के तथ्य को सम्यक् रूप से सत्यापित करने के पश्चात्, ऐसे स्वत्वधारी या व्यक्ति को ऐसी रकम विहित रीति से प्रतिदत्त करेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रतिदेय रकम आवेदन की प्रस्तुति की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर प्रतिदत्त की जायेगी और यदि ऐसी रकम तीस दिवस की उपर्युक्त कालावधि के भीतर-भीतर प्रतिदत्त नहीं की जाती है तो, स्वत्वधारी, उपर्युक्त कालावधि के अवसान की तारीख की पश्चातवर्ती तारीख से संदाय की तारीख तक, ऐसी दर पर जैसीकि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

(3) इस धारा में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल स्वत्वधारी या व्यक्ति, जिसने कर का भार वास्तविक रूप से सहन किया है या रकम संदत्त की है, प्रतिदाय का दावा कर सकता है और इस प्रकार सहन किये गये कर के भार को या इस प्रकार संदत्त रकम को साबित करने का भार प्रतिदाय का दावा करने वाले स्वत्वधारी या व्यक्ति पर होगा।"।

31. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 9क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 9क के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "4ककक" हटायी जायेगी।

32. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 10ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 10ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"10ख. केबल सेवा और डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा पर कर के असंदाय के लिए शास्ति.- जहां केबल सेवा उपलब्ध कराने वाला केबल नेटवर्क का कोई स्वत्वधारी या डायरेक्ट-टू-होम प्रसारण सेवा का कोई स्वत्वधारी, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में जारी किये गये किसी आदेश या निदेश का पालन करने में विफल रहता है, वहां वह दोषसिद्धि पर, छह मास से अनधिक के साधारण कारावास या दो हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने, या दोनों, से दण्डनीय होगा।"।

अध्याय 6

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 में संशोधन

33. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13) की धारा 3 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पैंसठ प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी।

http://finance.rajasthan.gov.in

अध्याय 7
राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

34. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (x) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (xi) के पूर्व निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(x-क) "रियायत करार" से ऐसा कोई करार अभिप्रेत है जिसमें राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अन्य कानूनी संस्था द्वारा अधिकारों, भूमि या सम्पति का, कतिपय शर्तों के अध्यधीन, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या, यथास्थिति, किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम की ऐसी आस्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्यिक आधार पर कोई सेवा उपलब्ध कराने के लिए, प्रदान किया जाना अंतवर्लित हो;";

(ii) विद्यमान खण्ड (xxi) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (xxii) के पूर्व निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(xxi-क) "इजाजत और अनुज्ञप्ति" से कोई ऐसी लिखत अभिप्रेत है, जिसे चाहे इजाजत या अनुज्ञप्ति के नाम से या किसी अन्य नाम से जाना जाये, जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी दूसरे को, या किसी निश्चित संख्या में अन्य व्यक्तियों को, प्रदाता की स्थावर संपत्ति में या पर ऐसी कोई बात करने या करते रहने का अधिकार, प्रदान करता है, जो ऐसे अधिकार के न होने पर विधिविरुद्ध होगी और ऐसा अधिकार सुखाचार या संपत्ति में कोई हित नहीं है;"; और

(iii) विद्यमान खण्ड (xxiii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

http://finance.rajasthan.gov.in

"(xxiii) ऐसी किसी भी संपत्ति, जो लिखत की विषयवस्तु है, के संबंध में "बाजार मूल्य" से, ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से, जो अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित की जाये, अवधारित वह कीमत, जो ऐसी संपत्ति के लिए प्राप्त हुई होती या प्राप्त होगी, यदि उसे उक्त लिखत के निष्पादन की तारीख को खुले बाजार में बेचा जाये, या लिखत में कथित प्रतिफल, जो भी उच्चतर हो, अभिप्रेत है;"।

35. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"**4. स्टाम्प शुल्क का नकद संदाय.-** (1) धारा 10 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(i) स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य कोई भी लिखत किसी अस्टाम्पित कागज पर निष्पादित की जा सकेगी; और

(ii) ऐसी लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क ऐसी रीति से संदत्त या संगृहीत किया जा सकेगा जैसीकि राज्य सरकार नियमों द्वारा विहित करे।

(2) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, उप-धारा (1) के खण्ड (ii) के अधीन स्टाम्प शुल्क के संदाय का ऐसा सबूत पेश करने पर, जैसाकि राज्य सरकार नियमों द्वारा विहित करे, इस प्रकार संदत्त स्टाम्प शुल्क की रकम को लिखत पर ऐसी रीति से पृष्ठांकित कर सकेगा, जैसीकि राज्य सरकार नियमों द्वारा विहित करे।

(3) उप-धारा (2) के अधीन पृष्ठांकित कोई लिखत इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रुप से स्टाम्पित समझी जायेगी और समस्त आशयों और समस्त प्रयोजनों के लिए उसका इसी रूप में उपयोग किया जा सकेगा या उस पर कार्रवाई की जा सकेगी।"।

http://finance.rajasthan.gov.in

36. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 में धारा 4-क का अन्त:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4 के पश्चात् और विद्यमान धारा 5 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"4-क. संदेय शुल्क, फीस या अधिभार या दी जाने वाली छूट में भिन्न का पूर्णांकन.- इस अधिनियम के अधीन संदेय शुल्क, अधिभार या फीस की या दी जाने वाली छूट की रकम अवधारित करने में 10 रुपये की कोई भी भिन्न, जो 50 पैसे के बराबर या उससे अधिक हो, का पूर्णांकन अगले 10 रुपये में किया जायेगा और 50 पैसे से कम की कोई भी भिन्न हिसाब में नहीं ली जायेगी।"।

37. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 39 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 39 के परन्तुक के खण्ड (क) के विद्यमान उप-खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(ii) जिस कालावधि के दौरान लिखत अपर्याप्त रुप से स्टाम्पित रही है, उस कालावधि के दौरान शुल्क में कमी की रकम या इसके भाग पर, दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से या स्टाम्प शुल्क में कमी का पच्चीस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति, किन्तु ऐसी शास्ति स्टाम्प शुल्क में कमी के दोगुने से अधिक नहीं होगी।"।

38. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 43 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 43 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"43. धारा 42 की उप-धारा (1) के अधीन शास्ति प्रतिदत्त करने की कलक्टर की शक्ति.- जहां किसी लिखत की कोई प्रति जो केवल इस कारण परिबद्ध की गयी है कि वह धारा 13 या धारा 14 के उल्लंघन में लिखी गयी है, धारा 42 की उप-धारा (1) के अधीन कलक्टर को भेजी जाती है तो, वह ऐसी लिखत के संबंध में संदत्त पूरी शास्ति वापस लौटा सकेगा।"।

39. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 44 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये की शास्ति, अथवा यदि वह ठीक समझता है तो उचित शुल्क या उसके कमी वाले भाग की रकम के दस गुने से अनधिक रकम, चाहे ऐसी रकम एक

http://finance.rajasthan.gov.in

सौ रुपये से अधिक हो या कम हो," के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिस कालावधि के दौरान लिखत अस्टाम्पित या अपर्याप्त रुप से स्टाम्पित रही, उस कालावधि के दौरान शुल्क में कमी की रकम या इसके भाग पर, दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से या स्टाम्प शुल्क में कमी का पच्चीस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, किन्तु जो स्टाम्प शुल्क में कमी के दोगुने से अधिक नहीं होगी," प्रतिस्थापित की जायेगी।

40. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 51 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 51 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) उप-धारा (1) या (2) के अधीन लिखत के प्राप्त होने पर, कलक्टर पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और विहित रीति से जांच करने के पश्चात् बाजार मूल्य और जिस कालावधि के दौरान लिखत अस्टाम्पित या अपर्याप्त रुप से स्टाम्पित रही, उस कालावधि के दौरान शुल्क में कमी की रकम या इसके भाग पर, दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से या स्टाम्प शुल्क में कमी की पच्चीस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, किन्तु स्टाम्प शुल्क में कमी के दोगुने से अधिक न हो, की शास्ति और उस पर संदेय अधिभार यदि कोई हो, सहित स्टाम्प शुल्क अवधारित करेगा, और यदि इस प्रकार अवधारित शास्ति और अधिभार, यदि कोई हो, सहित स्टाम्प शुल्क की रकम पूर्व में संदत्त शास्ति और अधिभार सहित स्टाम्प शुल्क की रकम से अधिक हो तो वह कम रकम, शास्ति और अधिभार, यदि कोई हो, सहित स्टाम्प शुल्क संदत्त करने के लिए दायी व्यक्ति द्वारा संदेय होगी।"; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(5) कलक्टर, उस सम्पत्ति के बाजार मूल्य के सही होने के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजनार्थ उप-धारा (4) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति से या निष्पादक से या किसी भी अन्य व्यक्ति से, उप-धारा (1) या (2) के अधीन उसे निर्दिष्ट न की गयी

http://finance.rajasthan.gov.in

कोई भी लिखत स्वप्रेरणा से या उप-धारा (4) के अधीन किये गये निर्देश पर मंगवा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और यदि ऐसी परीक्षा के पश्चात् उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य लिखत में सही तौर पर उपवर्णित नहीं किया गया है तो वह, उप-धारा (3) में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार बाजार मूल्य और जिस कालावधि के दौरान लिखत अस्टाम्पित या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित रही, उस कालावधि के दौरान शुल्क में कमी की रकम या इसके भाग पर, दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से या स्टाम्प शुल्क में कमी का पच्चीस प्रतिशत, जो भी अधिक हो, किन्तु जो स्टाम्प शुल्क के दो गुने से अधिक नहीं होगी, की शास्ति के साथ-साथ संदेय स्टाम्प शुल्क की रकम अवधारित कर सकेगा, जो स्टाम्प शुल्क और शास्ति संदत्त करने के दायी व्यक्ति द्वारा संदेय होगी।"।

41. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 में धारा 52-क का अन्त:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 52 के पश्चात् और विद्यमान धारा 53 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"52-क. एक पक्षीय आदेश पर पुन: विचार करना.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कलक्टर द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है वहां व्यथित व्यक्ति, ऐसे आदेश की उसको संसूचना होने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इस आधार पर कलक्टर को ऐसे आदेश पर पुन: विचार करने के लिए, आवेदन कर सकेगा कि उस मामले में उसको जारी की गयी सूचना या समन उसको प्राप्त नहीं हुए या कि उसे पर्याप्त कारण से उसको जारी की गयी किसी सूचना या समन का पालन करने से निवारित किया गया था।

(2) यदि उप-धारा (1) के अधीन किये गये आवेदन में विनिर्दिष्ट आधार पर कलक्टर का समाधान हो जाये तो वह एक पक्षीय आदेश पर पुन: विचार करेगा और व्यथित व्यक्ति को सुनने के पश्चात् उप-धारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त करने की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।"।

http://finance.rajasthan.gov.in

42. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 53 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 53 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) उप-धारा (1) या (2) के अधीन दस्तावेज या लिखत के प्राप्त होने पर कलक्टर, पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् दस्तावेज या लिखत का सही स्वरूप और कमी शुल्क की राशि पर उस अवधि के लिए जिसके दौरान लिखत अस्टाम्पित या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित रही, प्रतिमास या उसके बाद के लिए दो प्रतिशत की दर से शास्ति या कमी स्टाम्प शुल्क का पच्चीस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, किन्तु कमी स्टाम्प शुल्क के दो गुने से अधिक न हो, और अधिभार, यदि कोई हो, सहित उस पर संदेय स्टाम्प शुल्क अवधारित करेगा और इस प्रकार अवधारित शास्ति और अधिभार, यदि कोई हो, सहित संदत्त स्टाम्प शुल्क के या उसकी पूर्ति करने के लिए अपेक्षित रकम के संदाय की अपेक्षा कर सकेगा।"; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(5) कलक्टर, उस दस्तावेज या लिखत के स्वरूप के संबंध में उसके सही होने के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजनार्थ उप-धारा (4) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति से या निष्पादक से या किसी भी अन्य व्यक्ति से, उप-धारा (1) या (2) के अधीन उसे निर्दिष्ट न किया गया कोई भी दस्तावेज या लिखत, जो रजिस्ट्रीकृत कर दी गयी है और निष्पादक को या किसी भी अन्य व्यक्ति को वापस कर दी गयी है, स्वप्रेरणा से या उप-धारा (4) के अधीन या अन्यथा किये गये निर्देश पर मंगवा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और पक्षकारों को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि दस्तावेज या लिखत का स्वरूप सही तौर पर उल्लिखित या अवधारित नहीं किया

http://finance.rajasthan.gov.in

गया था, तो वह उस दस्तावेज या लिखत का सही स्वरूप और उस पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क, प्रतिमाह कमी शुल्क की राशि या इसके भाग के दो प्रतिशत की दर से ऐसी कालावधि के लिए जिसके दौरान लिखत अस्टाम्पित या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित रही या स्टाम्प शुल्क में कमी की पच्चीस प्रतिशत, जो भी अधिक हो, किन्तु स्टाम्प शुल्क के दो गुने से अधिक नहीं होगी, की शास्ति के साथ-साथ उस पर संदेय स्टाम्प शुल्क, यदि कोई हो, सहित इस प्रकार अवधारित स्टाम्प शुल्क या उसकी पूर्ति करने के लिए अपेक्षित रकम के संदाय की अपेक्षा कर सकेगा।"।

43. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 में नयी धारा 56-क का अन्त:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 56 के पश्चात् और विद्यमान धारा 57 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"56-क. ब्याज और शास्ति को कम करने या अधित्यजन करने की महानिरीक्षक स्टाम्प की शक्ति.- (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महानिरीक्षक स्टाम्प किसी व्यतिक्रमी द्वारा इस निमित्त किये गये आवेदन पर ब्याज या शास्ति या दोनों की रकम को पच्चीस हजार रुपये की अधिकतम सीमा तक कम कर सकेगा या उसका अधित्यजन कर सकेगा, यदि वह व्यतिक्रमी ऐसे आदेश से तीस दिवस के भीतर-भीतर इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संदत्त किए जाने वाले शुल्कों, शास्तियों, ब्याज और किन्हीं अन्य राशियों की शेष रकम जमा करने के लिए सहमत हो जाता है।

(2) यदि व्यतिक्रमी उस उप-धारा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर-भीतर उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम जमा कराने में विफल हो जाता है तो उप-धारा (1) के अधीन पारित कम करने या अधित्यजन करने का आदेश तीस दिवस की पूर्वोक्त कालावधि की समाप्ति पर प्रत्याहृत हो जायेगा।"।

44. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 72 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 72 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"72. शुल्क, अधिभार या शास्ति पर ब्याज.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन (अवधारण, अपील, पुनरीक्षण, परिशुद्धि या अन्यथा सहित) किसी कार्यवाही

http://finance.rajasthan.gov.in

में पारित किसी आदेश के परिणामस्वरुप किसी व्यक्ति से शुल्क या अधिभार की राशि वसूलीय है, वहां वह, ऐसी लिखत के निष्पादन की तारीख से लेकर जब तक उक्त रकम का संदाय नहीं कर दिया जाता तब तक, शुल्क या अधिभार की रकम पर बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि दर से ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरुप किसी व्यक्ति से शास्ति की कोई रकम वसूलीय है वहां वह ऐसे आदेश की तारीख से ऐसी राशि के संदाय की तारीख तक ऐसी शास्ति की रकम पर बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि दर से ब्याज का संदाय करने के दायित्वाधीन होगा।"।

45. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(i) अनुच्छेद 5 के विद्यमान खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(च) यदि किसी उत्पाद के प्रोत्साहन के लिए किये गए किसी विज्ञापन; या उसमें से लाभ प्राप्त करने या कारबार करने के आशय से कार्यक्रम या इवेण्ट से संबंधित है,-	
(i) यदि करार की गई रकम दस लाख रुपये से अधिक नहीं है;	न्यूनतम 100 रुपये के अध्यधीन रहते हुए, संविदा में करार की गई प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग की रकम पर दो रुपये पचास पैसे।
(ii) अन्य किसी मामले में,	संविदा में करार की गई रकम पर प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग पर पांच रुपये।
"(चच) यदि किसी इवेण्ट या फिल्म को टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट करने या उसका प्रदर्शन करने के अनन्य	

http://finance.rajasthan.gov.in

अधिकार प्रदान करने से संबंधित है,-	
(i) यदि करार की गई रकम दस लाख रुपये से अधिक नहीं है;	न्यूनतम 100 रुपये के अध्यधीन रहते हुए, संविदा में करार की गई प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग की रकम पर दो रुपये पचास पैसे।
(ii) अन्य किसी मामले में,	संविदा में करार की गई रकम पर प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग पर पांच रुपये।";

(ii) विद्‌यमान अनुच्छेद 5-क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्‌:-

"**5-क.** किसी व्यापारिक सदस्य द्‌वारा धारा 2 के खण्ड (iक) और (xxxvii) में निर्दिष्ट किसी संगम या स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कार्यान्वित **संव्यवहार का अभिलेख (इलेक्ट्रोनिक या अन्यथा)**,-	
(क) यदि सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय और क्रय से संबंधित हो।	प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक एक करोड़ रुपये या उसके भाग के लिए पचास रुपये।
(ख) यदि उपर्युक्त मद (क) के अधीन आने वाली से भिन्न प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय से संबंधित हो,-	
(i) परिदान के मामले में	प्रतिभूति के मूल्य का 0.01 प्रतिशत।
(ii) अपरिदान के मामले में	प्रतिभूति के मूल्य का 0.01 प्रतिशत।
(ग) यदि भावी और विकल्प व्यापार से संबंधित हो।	भावी और विकल्प व्यापार के मूल्य का 0.01 प्रतिशत।
(घ) यदि किसी संगम के माध्यम से	अग्रिम संविदा के मूल्य का 0.01

या अन्यथा व्यापार की गयी वस्तुओं की अग्रिम संविदा से संबंधित हो।	प्रतिशत।
स्पष्टीकरण.- खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए प्रतिभूति का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में परिभाषित है।";	

(iii) विद्यमान अनुच्छेद 20 के पश्चात् और विद्यमान अनुच्छेद 21 के पूर्व निम्नलिखित नया अनुच्छेद अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**20-क.** धारा 2(x-क) द्वारा यथापरिभाषित **रियायत करार**	(i) 2 लाख रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 10 करोड़ रुपये तक हो;
स्पष्टीकरण.- इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम सं. .....) के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व निष्पादित रियायत करार, इस अनुच्छेद के अधीन प्रभार्य होगा और ऐसे प्रारम्भ के तीस दिवस के भीतर-भीतर स्टाम्पित किया जायेगा।	(ii) 10 लाख रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 10 करोड़ रुपये तक है किन्तु 50 करोड़ रुपये से अधिक न हो; (iii) 40 लाख रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 50 करोड़ रुपये से अधिक है किन्तु 200 करोड़ रुपये से अधिक न हो; (iv) 1 करोड़ रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 200 करोड़ रुपये से अधिक है किन्तु 500 करोड़ रुपये से अधिक न हो; (v) 2 करोड़ रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 500 करोड़ रुपये से अधिक है किन्तु 1000 करोड़ रुपये से अधिक न हो; (vi) 5 करोड़ रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 1000 करोड़ रुपये से अधिक है

http://finance.rajasthan.gov.in

	किन्तु 2500 करोड़ रुपये से अधिक न हो; (vii) 10 करोड़ रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 2500 करोड़ रुपये से अधिक हो।";

(iv) अनुच्छेद 21 के विद्यमान खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iii) यदि किसी कंपनी के आमेलन, डीमर्जर (Demerger) या पुनर्गठन के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) की धारा 394 या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44-क के अधीन किये गये आदेश से संबंधित हो,-	अन्तरक कंपनी की सम्पूर्ण स्थावर सम्पत्ति के मूल्य से अंतरक कंपनी की राजस्थान राज्य में स्थित स्थावर सम्पत्ति के अनुपात के बराबर अंतरक कंपनी के शुद्ध मूल्य के उस भाग पर दो प्रतिशत; लिखत पर अन्यत्र संदत्त स्टाम्प ड्यूटी, यदि कोई हो, के अतिरिक्त;"।

(v) अनुच्छेद 21 के विद्यमान खण्ड (iii) के पश्चात् और "छूट" के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iv) यदि वह अन्तरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर) से संबंधित है	ऐसे अन्तरणीय विकास अधिकारों के प्रति सम्पत्ति के संबंधित भाग के बाजार मूल्य के समान अन्तरणीय विकास अधिकारों के बाजार मूल्य पर पांच प्रतिशत, जो हस्तान्तरण विलेख की विषय वस्तु है; या ऐसे हस्तान्तरण विलेख के लिए प्रतिफल है; जो भी अधिक हो।";

(vi) अनुच्छेद 21 का विद्यमान स्पष्टीकरण (ii) हटाया जायेगा; और

http://finance.rajasthan.gov.in

(vii) विद्यमान अनुच्छेद 33 के पश्चात् और विद्यमान अनुच्छेद 34 के पूर्व निम्नलिखित नया अनुच्छेद अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"33-क. आवासीय संपत्ति से भिन्न स्थावर संपत्ति से संबंधित **इजाजत और अनुज्ञप्ति करार**।	कालावधि, जिसके लिए ऐसी इजाजत और अनुज्ञप्ति करार निष्पादित किया गया है, को विचार में लिये बिना, संदेय या परिदेय संपूर्ण रकम पर और जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम दिये गये या अग्रिम दिये जाने वाले धन की कुल रकम पर प्रति सौ रुपये या उसके भाग पर एक रुपया।"।

अध्याय 8
राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन

46. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4-घ का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 4-घ के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**4-घ. ग्रीन कर का उद्ग्रहण.-** (1) इस अधिनियम की धारा 4, 4-ख और 4-ग के अधीन उद्गृहीत कर के अतिरिक्त, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट, सड़क पर उपयोग के लिए उपयुक्त ऐसे यानों पर, स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे समय पर, इस सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट अधिकतम दरों से अनधिक ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जायें, "ग्रीन कर" के नाम से एक उपकर उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

सारणी

क्र.सं.	यान का वर्ग		समय	उपकर की अधिकतम दर (रुपये में)
1	2		3	4
1.	**गैर-परिवहन यान**			
	(क)	दुपहिया	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के अधीन समनुदेशन के समय और तत्पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 की उप-धारा (10) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के समय।	1000
	(ख)	डीजल से चालित चार पहियों वाले यान		
	I.	1500 सीसी तक इंजिन क्षमता वाले हल्के मोटर यान		5000
	II.	1500 सीसी से अधिक और 2000 सीसी तक इंजिन क्षमता वाले हल्के मोटर यान		10000
	III.	2000 सीसी से अधिक इंजिन क्षमता और पांच सीट क्षमता तक वाले हल्के मोटर यान		10000
	IV.	2000 सी सी से अधिक इंजिन क्षमता और पांच से अधिक सीट क्षमता वाले हल्के मोटर यान।		25000
	(ग)	पेट्रोल/तरल पेट्रोल गैस से चालित चार पहियों वाले यान:		
	I.	1500 सीसी तक की		2000

http://finance.rajasthan.gov.in

		इंजिन क्षमता वाले हल्के मोटर यान		
	II.	1500 सीसी से अधिक और 2000 सीसी तक की इंजिन क्षमता वाले हल्के मोटर यान		2500
	III.	2000 सीसी से अधिक की इंजिन क्षमता और पांच सीट तक क्षमता वाले हल्के मोटर यान		3000
	IV.	2000 सीसी से अधिक की इंजिन क्षमता और पांच से अधिक सीट क्षमता वाले हल्के मोटर यान		5000
	(घ)	उपर्युक्त ईंधन चालित चार पहियों वाले यानों से भिन्न यान		1000
	(ड.)	अन्य गैर-परिवहन यान		2000
2.	परिवहन यान		मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के अधीन समनुदेशन के समय और तत्पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 56 के अधीन सही हालत में होने के	2000

http://finance.rajasthan.gov.in

		प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के समय।	

(2) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध, उनको छोड़कर जो कर के प्रतिदाय से संबंधित हैं, जहां तक हो सके, उप-धारा (1) के अधीन संदेय उपकर के अधिरोपण, संदाय, संगणना और वसूली के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस अधिनियम के अधीन संदेय कर के अधिरोपण, संदाय, संगणना और वसूली पर लागू होते हैं।"।

47. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 5 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) में,

(i) द्वितीय परन्तुक की विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "छह" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान तृतीय परन्तुक हटाया जायेगा।

अध्याय 9
राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में संशोधन

48. 1950 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 25 का हटाया जाना.- राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम सं. 2), जिसे इसमें इस अध्याय के पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 25 हटायी जायेगी।

49. 1950 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 42 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 42 के खण्ड (ज) में, अन्त में आए विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, विराम चिन्ह ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार प्रतिस्थापित खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(झ) किसी भी प्रकार के कच्चे माल से आबकारी योग्य वस्तुओं के उत्पादन के मानकों को विहित करना।"।

50. 1950 के अधिनियम सं. 2 में धारा 62क का अन्त:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 62 के पश्चात् और विद्यमान धारा 63 के पूर्व, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

http://finance.rajasthan.gov.in

"**62क. कम्पनी द्वारा अपराध.-** (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, जो किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किये जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु जहां किसी कंपनी के भिन्न-भिन्न स्थापन या शाखाएं हैं या किसी स्थापन या शाखा में भिन्न-भिन्न यूनिटें हैं वहां संबद्ध प्रमुख या कंपनी द्वारा आबकारी योग्य वस्तुओं के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में नामनिर्देशित ऐसे स्थापन या शाखा या यूनिट का भारसाधक व्यक्ति ऐसे स्थापन, शाखा या यूनिट की बाबत उल्लंघन के लिए दायी होगा:

परन्तु यह और कि इस उप-धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित दंड का भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।"।

http://finance.rajasthan.gov.in

51. 1950 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 67 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 67 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) धारा 54 या धारा 54ख या धारा 54घ या धारा 57 या धारा 59 या धारा 62क या धारा 63 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान अपनी स्वयं की जानकारी या संदेह या किसी शिकायत या आबकारी अधिकारी की रिपोर्ट के बिना नहीं करेगा; या"।

अध्याय 10

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनयम, 2005 में संशोधन

52. 2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 7), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के विद्यमान खण्ड (ट) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ठ) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(टट) "राजस्थान विकास और गरीबी उन्मूलन निधि" से धारा 6क के अधीन सृजित निधि अभिप्रेत है;"।

53. 2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 में धारा 6क का अन्त:स्थापन-. मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 6 के पश्चात् और विद्यमान धारा 7 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"6क. राजस्थान विकास और गरीबी उन्मूलन निधि.- (1) राजस्थान विकास और गरीबी उन्मूलन निधि" (जिसे इसमें आगे निधि कहा गया है) के नाम से राज्य के लोक लेखा में सृजित एक निधि होगी।

(2) किसी भी वर्ष में राज्य की कर प्राप्तियां, जिनमें स्वयं के कर और केन्द्रीय करों का हिस्सा समाविष्ट हो, और जो पूर्ववर्ती वर्ष से 17.5 प्रतिशत अधिक हों, और कोई भी अन्य राजस्व प्राप्तियां जो राज्य सरकार उचित समझे, राज्य विधान-मण्डल इस संबंध में यदि विधि द्वारा विनियोग का उपबंध करे तो, आगामी वर्ष में निधि में जमा की जायेंगी।

http://finance.rajasthan.gov.in

(3) निधि, राज्य सरकार द्वारा केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में ली जा सकेगी:-

(क) किसी वर्ष, जिसमें राज्य की कर प्राप्तियां, जिनमें स्वयं के कर और केन्द्रीय करों का हिस्सा समाविष्ट हो, पूर्ववर्ती वर्ष से 10 प्रतिशत कम प्राक्कलित की जायें, किसी राजस्व या पूंजीगत व्यय की पूर्ति के लिए;

(ख) विकास स्कीमों या गरीबी कम करने के कार्यक्रमों पर व्यय की पूर्ति के लिए।

(4) निधि का उपयोग भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा यथा परिभाषित गैर-विकास या स्थापन व्यय की पूर्ति करने के लिए नहीं किया जायेगा।"।

अध्याय 11
अवसंरचना विकास उपकर

54. प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अध्याय का प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

55. परिभाषाएं.- (1) इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "उपकर" से धारा 56 के अधीन उद्गृहीत अवसंरचना विकास उपकर अभिप्रेत है;

(ख) "अवसंरचना" से, सड़कों, पुलों, फ्लाईओवरों, मेट्रो रेलों, विद्युत् उत्पादन संयंत्रों, पवन चक्कियों, सौर संयंत्रों, पारेषण और वितरण लाइनों, विद्युत् उप-केन्द्रों, जलापूर्ति प्रणाली, जल निष्यंदन और उपचार संयंत्रों, मल उपचार संयंत्रों, जल-निकास पाइप लाइनों, स्वच्छता सुविधाओं, सिंचाई संरचनाओं, सिंचाई नहरों और जलाशयों, जल संग्रहण और जल संरक्षण, औद्योगिक गलियारों, विनिधान और विनिर्माण जोन, विशेष आर्थिक जोन, शिक्षा और अनुसंधान, क्रीड़ा, स्वास्थ्य परिचर्या, पर्यटन, परिवहन से संबंधित परियोजनाएं और ऐसी

http://finance.rajasthan.gov.in

अन्य स्कीमें या परियोजनाएं, जो कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, अभिप्रेत हैं;

(ग) "विहित" से इस अध्याय के अधीन बनाये गये नियमों के द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(घ) "क्रय कीमत" से इस अध्याय के अधीन उपकर उद्गृहीत करने के प्रयोजनों से किसी व्यवहारी के द्वारा माल के क्रय के लिए, समस्त संदेय कानूनी उद्ग्रहणों को सम्मिलित करते हुए, प्रतिफल के रूप में संदेय रकम अभिप्रेत है; और

(2) इस अध्याय में प्रयुक्त परन्तु परिभाषित नहीं किये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वह अर्थ होगा जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) के अधीन उन्हें समनुदेशित है।

56. उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण.- (1) इस अध्याय के अन्य उपबंधों और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, ऐसे माल के विक्रय या क्रय पर, ऐसी दरों पर उपकर उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा, जो माल के विक्रय या क्रय कीमत के छह प्रतिशत से अधिक न हो, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये।

(2) उप-धारा (1) के अधीन उद्गृहणीय उपकर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उप-धारा (1) में निर्दिष्ट माल के विक्रय या क्रय पर उद्गृहणीय किसी कर के अतिरिक्त होगा।

57. उपकर के आगमों का अनुप्रयोग.- इस अध्याय के अधीन उद्गृहीत उपकर के आगमों को, राज्य सरकार द्वारा यथा-अवधारित संग्रहण की लागत को कम करते हुए, यदि राज्य विधान-मण्डल इस निमित्त विधि द्वारा बनाये गये विनियोग द्वारा उपबंध करती है तो निम्नलिखित समस्त या किसी उद्देश्य के लिए, उपयोग में लाया जायेगा, अर्थात्:-

(क) अवसंरचना का विकास; या

(ख) अवसंरचना परियोजनाओं का रखरखाव, नवीनीकरण या प्रबंधन; या

http://finance.rajasthan.gov.in

(ग) अवसंरचना विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण।

58. छूट देने की शक्ति.- यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक या समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा इस अध्याय के अधीन देय उपकर के संदाय से, चाहे भविष्यलक्षी प्रभाव से या भूतलक्षी प्रभाव से किसी शर्त के बिना या अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्त सहित, पूर्णत: या भागत: छूट दी जा सकेगी।

59. विवरणियों का दिया जाना.- प्रत्येक व्यक्ति ऐसी रीति से और ऐसे समय पर और विवरणियां दिये जाने में विलम्ब पर, ऐसी विलम्ब फीस सहित, जो पचास हजार रुपये से अधिक न हो, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को, जो विहित किया जाये, विवरणी देगा।

60. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के उपबंधों का लागू होना.- जब तक इस अध्याय में अन्यथा उपबंधित न हो, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) और तदधीन बनाये गये नियमों में निर्धारण, संग्रहण, ब्याज, शास्ति, वसूली, प्रतिदाय, अपील और पुनरीक्षण संबंधित उपबंध, इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय किए जाने योग्य उपकर के संबंध में, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

61. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित उपबंध किए जा सकेंगे-

(क) वह रीति जिसमें उपकर के आगमों से संबंधित लेखा संधारित किये जायेंगे;

(ख) वह रीति जिसमें उपकर के आगमों की धारा 57 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकेगा;

(ग) उपकर के संग्रहण की लागत का अवधारण; या

(घ) साधारणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिए।

http://finance.rajasthan.gov.in

(3) इस अध्याय के अधीन बनाये गए समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए रखे जायेंगे जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि, ऐसे सत्र, जिनमें वे इस प्रकार रखे गये हैं, या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व, राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं नियमों में कोई भी उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई भी नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो ऐसे नियम तत्पश्चात् केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण, तदधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 3 की उप-धारा (1) का खण्ड (ख) उन विनिर्माताओं जिनका वार्षिक पण्यावर्त दो लाख रुपये से अधिक है, के लिए कर को घटाने का उपबंध करता है। लघु विनिर्माताओं और कारीगरों को राहत देने की दृष्टि से धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है ताकि उपवर्णित रकम दो लाख के स्थान पर रकम पांच लाख प्रतिस्थापित की जा सके।

उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) कतिपय परिस्थितियों में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द करने का उपबंध करती है। यदि कोई व्यवहारी, बिना सूचना के अपने कारबार के मुख्य स्थान में परिवर्तन कर देता है तो उसका पता लगाना और कर परिवर्जन या अपवंचन की दशा में शोध्य मांग को वसूल करना कठिन होगा। अत:, उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) में खण्ड (कक), ऐसे व्यवहारियों के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के लिए, अन्त:स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (2) मूपक बीजक के आधार पर आगत कर मुजरा अनुज्ञात करने के लिए निक्षेपित करों के सत्यापन का उपबंध करती है। समस्त निर्धारण प्राधिकारियों के लिए सत्यापन की प्रणाली में एकरूपता बनाये रखने के लिए, यह प्रस्तावित है कि आयुक्त को सत्यापन की प्रक्रिया को अधिसूचित करने के लिए प्राधिकृत किया जाना चाहिए। तद्नुसार उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (2) में यथोचित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) अवार्डर के द्वारा कर की कटौती का उपबंध करती है। कर कटौती की दर की वर्तमान सीमा छह प्रतिशत है। उक्त सीमा को छह प्रतिशत से बढाकर बीस प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है, ताकि उन परिस्थितियों को समाविष्ट किया जा सके, जहां संकर्म संविदा के निष्पादन में संदेय कर संविदा मूल्य के छह प्रतिशत से अधिक हो। तद्नुसार, उक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) में यथोचित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

धारा 20 की उप-धारा (2क) के उपबंधों के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों को देखते हुए उक्त अधिनयम की धारा 20 की उक्त उप-धारा को हटाया जाना प्रस्तावित है।

धारा 20 के उपबंधों के अनुसार कर निक्षिप्त करने में विफल रहने या उक्त अधिनियम की धारा 21 के उपबंध के अनुसार विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहने के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 22, निर्धारण का उपबंध करती है। यह स्पष्ट करने के लिए कि रिटर्न फाइल किये जाने की तारीख के पश्चात् इस धारा के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। उक्त अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (4) में संशोधन प्रस्तावित है।

जहां वार्षिक विवरणी विहित समय में प्रस्तुत की जा चुकी है, उक्त अधिनियम की धारा 23 स्वनिर्धारण का उपबंध करती है। उन व्यवहारियों को समाविष्ट करने, जिन्होंने रिटर्न विलंब से परन्तु धारा 24 के अधीन नोटिस जारी करने से पूर्व फाइल किये हैं स्वनिर्धारण के परिक्षेत्र में वृद्धि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 23 संशोधित की जानी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, त्रैमासिक निर्धारण का उपबंध हटाया जायेगा क्योंकि त्रैमासिक निर्धारण के लिए विकल्प का बहुत कम व्यवहारियों ने चयन किया है।

उक्त अधिनियम की धारा 24 निर्धारण के लिए उपबंध करती है। ऐसे मामलों में जहां कर बोर्ड या अपीलीय प्राधिकारी कोई रिमाण्ड करता है और विभाग ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील या पुनरीक्षण करता है वहां आदेश के दो वर्षों के भीतर निर्धारण आदेश किया जायेगा। ऐसे मामलों में सर्वथा अंतिम न्यायनिर्णयन के पश्चात् निर्धारण आदेश पारित किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए, धारा 24 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित हैा समान प्रावधान धारा 25, 26, और 27 में भी किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (7) का खण्ड (ख) आरंभिक रूग्णता के मामले में कर और किस्तों के आस्थगन का उपबंध करता है। यह छूट किसी औद्योगिक उपक्रम की आरम्भिक रूगणता के मामले दिया जाना प्रस्तावित नहीं है, अत: यह प्रस्तावित है कि उक्त खण्ड को वापस लिया जाये । तद्नुसार उक्त अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (7) मे यथोचित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

व्यवहारियों या व्यवहारियों के वर्ग को कर की पूरी रकम से छूट प्रदान किये जाने को अनुज्ञात किये जाने की दृष्टि से उक्त अधिनियम में नयी धारा 51ख अन्त:स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

उक्त अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (4) किसी व्यवहारी को प्रतिदेय रकम पर संदेय ब्याज का उपबंध करती है। जहां ऐसी रकम प्रतिदेय पायी जाए तो व्यवहारी को ऐसी रकम पर ब्याज संदेय होगा। चूंकि प्रतिदाय, वर्ष की समाप्ति के पश्चात् देय होता है अत: यह प्रस्तावित है कि किसी व्यवहारी को, आगामी वर्ष की अप्रेल की प्रथम तारीख से प्रतिदाय की तारीख तक ब्याज या प्रतिदाय अनुज्ञात किया जायेगा। यदि प्रतिदत्त की जाने वाली रकम वर्ष की समाप्ति से पूर्व जमा करा दी जाये। तद्नुसार उक्त अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (4) में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है।

उक्त अधिनियम की धारा 61 कर से परिवर्जन या अपवंचन के लिए शास्ति का उपबंध करती है। कई मामलों मे यह देखा गया है कि व्यवहारी उक्त अधिनियम मे यथा विनिर्दिष्ट कर की दर से कम दर पर कर संदत्त कर रहे हैं शास्ति के अधिरोपण के लिए इन अपराधों को स्पष्ट करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 61 की उप-धारा (1) संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

अधिनियम की धारा 67 की उप-धारा (1) अपराधों के अभियोजन का उपबन्ध करती है। कतिपय मामलों, विशेष रूप से एक करोड़ से अधिक की किसी मांग के असंदाय के लिए और कपट के मामलों के लिए निरोधक उपबंध करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 67 की उप-धारा (1) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त अधिनियम की धारा 91 विभाग के कृत्यकरण के लिए विशिष्टतया संदेय कर की दर के संबंध में, निर्धारण के कार्य में एकरूपता लाने की दृटि से निदेश, मार्गदर्शक सिद्धांत आदि जारी करने के लिए आयुक्त को सशक्त करती है। तद्नुसार उक्त अधिनियम की धारा 91 में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है।

उक्त अधिनियम की धारा 95 नोटिस, प्ररूप, विवरणियों इत्यादि को सम्मिलित करते हुए इलेक्ट्रानिक संसूचना को विधिक प्रामणिकता प्रदान करने के लिए, संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

उक्त अधिनियम की धारा 96 कर समझौता बोर्ड का उपबंध करती है। चूंकि कर समझौता बोर्ड किसी प्रयोजन को पूरा नहीं कर पाया है अत: इसे हटाया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

राजस्थान विलासिता (होटलों और बासों) पर कर अधिनियम, 1990

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित भिन्न-भिन्न अधिनियमों के अधीन एक ही रजिस्ट्रीकरण संख्या रखने और राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के उपबंधों के साथ रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए राजस्थान विलासिता (होटलों और बासों) पर कर अधिनियम, 1990 की धारा 12 में संशोधन प्रस्तावित है।

इसी प्रकार उक्त अधिनियम और राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन ब्याज की दर में एकरूपता रखने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 20 में संशोधन प्रस्तावित है।

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 की धारा 3 के परन्तुक का खण्ड (3) उपभोक्ताओं के कतिपय वर्ग के लिए छूट का उपबंध करता है। विभिन्न औद्योगिक प्रोत्साहन और प्रोन्नयन स्कीमें उपभोक्ताओं के कतिपय वर्ग को विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है, जो उक्त परन्तुक में समावेशित नहीं है। सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए उक्त खण्ड को इस प्रकार संशोधित किया जाना प्रस्तावित है जैसे कि यह सदैव से उक्त अधिनियम में था।

राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957

राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 केबल सेवा और डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा के माध्यम से मनोरंजन पर कर के उद्ग्रहण का उपबंध करता है। डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा और केबल सेवा के माध्यम से मनोरंजन की विषयवस्तु एक सी हैं किन्तु उक्त अधिनियम में कर के उद्ग्रहण के लिए भिन्न-भिन्न उपबंध हैं और कराधान की भिन्न-भिन्न प्रणालियां हैं। इन सेवाओं के माध्यम से मनोरंजन के लिए समान उपबंध किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए धारा 4कक और 4ककक को एक ही धारा में शामिल करने के लिए संशोधन प्रस्तावित है। मनोरंजन के इस वर्ग और अन्य मनोरंजनों के बीच अन्तर करने के लिए धारा 4 में भी संशोधन प्रस्तावित है। इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप परिभाषा खण्ड और निर्धारण, ब्याज और

शास्ति के खण्डों में भी संशोधन अपेक्षित हैं। तदनुसार, धारा 3, धारा 4कक, धारा 4ककक, धारा 5ख, धारा 6, धारा 9क और धारा 10ख में संशोधन प्रस्तावित हैं।

प्रतिदाय से संबधित उपबंध उक्त अधिनियम की धारा 8 में दिये गये हैं। इन्हें राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के तत्समान उपबंधों के समान बनाने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 8 संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उप-धारा (1) उक्त अधिनियम के अधीन कर की दर की अधिकतम सीमा उपबंधित करती है। वर्तमान में यह माल के मूल्य का बीस प्रतिशत है। राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उप-धारा (1) को संशोधित कर के इस अधिकतम दर को बढ़ाकर पैंसठ प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में वर्तमान में "रियायत करार" और "इजाजत और अनुज्ञप्ति करार" न तो परिभाषित हैं और न ही अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप से सम्मिलित हैं और अनुसूची के अनुच्छेद 5 के अधीन साधारण करारों के रूप में स्टाम्प से प्रभार्य हैं।

इन लिखतों पर स्टाम्प शुल्क के लिए उपबंध करने की दृष्टि से, ऐसी लिखतों को परिभाषित करने के लिए अधिनियम की धारा 2 संशोधित की जानी प्रस्तावित है इन लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की विशेष दरें उपबंधित करने के लिए और अनुसूची में इन लिखतों को सम्मिलित करने के लिए अधिनियम की अनुसूची संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

"बाजार मूल्य" की वर्तमान परिभाषा जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) या अन्य प्राधिकारी द्वारा भूमि या संपत्ति की बाजार दरों के अवधारण का उपबन्ध नहीं करती। वर्तमान में बाजार दरें अधिनियम में विधिक उपबंध के बिना राजस्थान स्टाम्प नियम के अधीन उपबंध के आधार पर जिला स्तरीय समिति द्वारा या राज्य सरकार द्वारा

अवधारित की जा रही हैं। इसलिए, धारा 2 का खण्ड (xxiii) के अधीन "बाजार मूल्य" की परिभाषा संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

वर्तमान में स्टाम्प शुल्क केवल स्टाम्प पत्रों अर्थात् छापित या आसंजक स्टाम्प पत्र, फ्रेंकिंग या ई-स्टाम्प की मार्फत संदत्त किया जा सकता है। आपवादिक परिस्थितियों में, जब छापित या आसंजक स्टाम्प पत्र स्टाक में नहीं हों तो स्टाम्प शुल्क नकद संदत्त किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी में उन्नति होने के साथ ही, आम जनता और साथ ही साथ राज्य सरकार के लिए स्टाम्प शुल्क के संदाय और संग्रहण को आसान बनाया जा सकता है। इसलिए, अन्य पद्धतियों के माध्यम से भी स्टाम्प शुल्क के संदाय हेतु उपबंध करने के लिए धारा 4 यथोचित रूप से संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

स्टाम्प शुल्क में भिन्नों का पूर्णांकन करने के बारे में अधिनियम में उपबन्ध विद्यमान नहीं है। अत: इस प्रयोजन के लिए एक नयी धारा 4-क अन्त:स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के विद्यमान उपबन्धों के अनुसार, कलक्टर को स्टाम्प शुल्क के अपवंचन या परिवर्जन के मामलों में परिवर्जन या अपवंचन किये गये स्टाम्प शुल्क की रकम पर एक सौ रुपये, से लेकर उस रकम की दस गुना तक की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार शास्ति के अधिरोपण के संबंध में कलक्टर को विवेकाधिकार की व्यापक सीमा है। राज्य सरकार की जानकारी में आया है कि विवेकाधिकार की इस व्यापक सीमा से राजस्व की हानि और संबंधित पक्षकारों के प्रति असमानता कारित होती है। विवेकाधिकार की इस व्यापक सीमा ने एक बड़ी सीमा तक शास्ति के भयपरतिकारी प्रभाव को भी कम कर दिया है क्योंकि अपवंचक सदैव निम्नतम शास्ति के बारे में सोचता है।

कलक्टरों के इस विवेकाधिकार को समाप्त करने के लिए और परिवर्जित स्टाम्प शुल्क की रकम को समय और प्रतिशत दर के अनुसार शास्ति से संबद्ध करने के लिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपवंचन और परिवर्जन का प्रत्येक कृत्य परिवर्जित रकम के अनुपात में शास्ति को आमंत्रित करेगा, परिवर्जक या अपवंचक के प्रति यह स्पष्ट हो जायेगा कि स्टाम्प शुल्क के परिवर्जन और अपवंचन से प्राप्त लाभ को शास्ति के रूप में वापस संदत्त करना होगा। इस प्रकार इसका एक भयपरतिकारी प्रभाव होगा और इससे स्टाम्प शुल्क के अपवंचन और परिवर्जन के प्रयास कम होंगे।

http://finance.rajasthan.gov.in

तदनुसार, धारा 39, 43, 44, 51 और 53 यथोचित रूप से संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

वर्तमान में कलक्टरों द्वारा पारित एकपक्षीय आदेशों पर पुनर्विचार किये जाने के बारे में अधिनियम में कोई उपबंध नहीं है। व्यथित व्यक्ति के पास मांग की पच्चीस प्रतिशत रकम जमा कराने के पश्चात् राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष ऐसे आदेशों को चुनौती देने का एकमात्र विकल्प है। व्यथित व्यक्ति को अपने मामले में गुणावगुण के आधार पर कलक्टर का विनिश्चय प्राप्त करने के लिए अवसर देने और उसे मांग की पच्चीस प्रतिशत रकम जमा कराने के वित्तीय भार से बचाने की दृष्टि से एक नयी धारा 52-क अन्त:स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

स्टाम्प शुल्क पर शास्ति या ब्याज को कम करने या वापस करने की शक्ति अधिनियम की धारा 9-क के अधीन राज्य सरकार को उपलब्ध है। ये शक्तियां पच्चीस हजार रुपये की रकम तक महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण और स्टाम्प को भी दी जानी प्रस्तावित हैं ताकि महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण और स्टाम्प भी वास्तविक वित्तीय कठिनाई के आधार पर समुचित मामलों में शास्ति या ब्याज को वापस कर सके या कम कर सके। अत:, इस प्रयोजन के लिए उपबंध करने के लिए एक नयी धारा 56-क अन्त:स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क ऐसे दस्तावेज के निष्पादन की तारीख को संदेय है, किन्तु धारा 72 के वर्तमान उपबंधों के अधीन कम स्टाम्प शुल्क की मांग पर ब्याज कलक्टर के आदेश की तारीख से संदेय है। दूसरे, ब्याज की दर भी अठारह प्रतिशत चक्रवृद्धि की दर से संदेय है। इसलिए, दस्तावेज के निष्पादन की तारीख से ब्याज के उद्ग्रहण का उपबंध करने के लिए और ब्याज की दर को अठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि से कम करके बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि करने के लिए धारा 72 संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

किसी उत्पाद के प्रोत्साहन के लिए किये गये विज्ञापन; इसके कारबार से लाभ प्राप्त करने के आशय से कार्यक्रम या इवेण्ट से संबंधित या फिल्म के टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट या प्रदर्शन करने के अनन्य अधिकार प्रदत्त करने से संबंधित करारों पर स्टाम्प शुल्क की विनिर्दिष्ट दर अधिरोपित करने के आशय से अनुसूची के अनुच्छेद 5 में यथोचित संशोधन किये जाने प्रस्तावित हैं।

http://finance.rajasthan.gov.in

संगम या स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किसी व्यापारिक सदस्य द्वारा किये गये संव्यवहार के अभिलेख (इलेक्ट्रोनिक या अन्यथा) के लिए स्टाम्प शुल्क की दरों को युक्तियुक्त बनाया जाना प्रस्तावित है। अत:, अनुच्छेद 5-क को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

रियायत करार को स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य बनाने की दृष्टि से अनुसूची में एक नया अनुच्छेद 20-क अन्त:स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अनुच्छेद 21 के अधीन आमेलन/डीमर्जर/पुनर्गठन के आदेशों पर स्टाम्प शुल्क की दरों को इस तथ्य पर विचार करते हुए एक धारा में लाया जाना है कि इस पर अन्य राज्यों में भी स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया जाता है। इसलिए, आमेलन या डीमर्जर या पुनर्गठन के आदेशों पर स्टाम्प शुल्क की दरों और साथ ही साथ संगणना की पद्धति को युक्तियुक्त बनाने की दृष्टि से अनुच्छेद 21 का खण्ड (iii) संशोधित किया जाना प्रस्तावित है और अनुसूची के अनुच्छेद 21 का स्पष्टीकरण (ii) हटाया जाना प्रस्तावित है।

राज्य में अन्तरणीय विकास अधिकार (टी.डी.आर.) के माध्यम से संपत्ति के अन्तरण की एक नयी अवधारणा आरंभ की गयी है। अन्तरणीय विकास अधिकार (टी.डी.आर.) उतने ही मूल्यवान हैं जितनी कि वह भूमि जिसके संबंध में ऐसे प्रमाणपत्र जारी किये जाते हैं। इसलिए, अनुसूची में अनुच्छेद 21 में नया खण्ड (iv) अन्त:स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

आवासीय भूमि से भिन्न स्थावर सम्पत्ति से संबंधित इजाजत और अनुज्ञप्ति करार को स्टाम्प ड्यूटी से प्रभार्य करने की दृष्टि से नया अनुच्छेद 33-क अनुसूची में अन्त:स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4घ रजिस्ट्रीकरण या नये रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के लिए दिये जाने और रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के समय पर और साथ ही परिवहन यानों के सभी प्रवर्गों पर रजिस्ट्रीकरण या समनुदेशन और उपयुक्तता प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के समय पर ग्रीन कर (उप-कर) अधिरोपित करने

http://finance.rajasthan.gov.in

की शक्ति का उपबंध करती है। यह परिकल्पित था कि ग्रीन कर के अधिरोपण से न केवल उत्सर्जन स्तरों को कम करने में सहायता प्राप्त होगी, बल्कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए अपेक्षित अवसंरचना और उपकरणों के रखरखाव के लिए संसाधनों में वृद्धि करने में भी सहायता प्राप्त होगी। यानों के क्रय और रजिस्ट्रीकरण में असाधारण और उत्तरोत्तर वृद्धि के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, जिनसे ईंधन उपभोग के कारणों से प्रदूषण का अधिक उत्सर्जन संभाव्य है, यह वांछनीय प्रतीत होता है कि ऐसे यानों को, यानों के ईंधन आधारित प्रवर्गों के विस्तार के माध्यम से, हतोत्साहित किया जाये, और तद्नुसार उक्त धारा में ग्रीन कर की दरों को परिवर्तित किया जाये। इससे ग्रीन कर के अधिरोपण के लिए यानों को और प्रवर्गीकृत किया जाना उचित समझा गया है ताकि प्रदूषणकारी ईंधन चालित यानों को हतोत्साहित किया जाये, और पर्यावरण मित्र ग्रीन ईंधन चालित यानों को प्रोत्साहित किया जाये। तद्नुसार धारा 4घ संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 5 के द्वितीय परन्तुक में एकमुश्त कर को तीन समान किश्तों में जमा किए जाने की सुविधा का उपबंध है। यान जिनके लिए एकमुश्त कर का संदाय करना अनिवार्य है या जो एकमुश्त कर के संदाय का विकल्प देते हैं उनके लिए एकमुश्त कर को तीन समान किश्तों के स्थान पर छह समान किश्तों में जमा कराया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 5 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950

धारा 25 यह उपबन्धित करती है कि ऐसे स्थानों की सीमाओं के भीतर जहां सैनिक बल अवस्थित हों, अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए कमाण्डिंग अधिकारी की सहमति आवश्यक है। यह उपरिका ऐसे क्षेत्रों में मदिरा का विनिर्माण या विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने में समस्या उत्पन्न करती है। विधिक विवादों को टालने और राजस्व हानि से बचने के लिए, यह धारा हटायी जानी प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

वर्तमान में, अधिनियम के अधीन बीयर, स्पिरिट, और एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल के उत्पादन के लिए कोई मानदण्ड नहीं है। इसलिए, प्रयुक्त कच्चे माल से बीयर, स्पिरिट और एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल के उत्पादन के लिए, मानक विहित करने हेतु आबकारी आयुक्त को सशक्त बनाने के लिए, धारा 42 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान में स्थापित विनिर्माण इकाइयां, कम्पनी अधिनियम के उपबंध के अधीन अपना कारबार चला रही हैं, किन्तु किसी कम्पनी द्वारा कारित अपराध के लिए आपराधिक दायित्व नियत करने के लिए राजस्थान आबकारी अधिनियम में कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं है। विद्यमान नियमों में व्यक्ति के लिए मात्र निर्देश है। इस प्रकार के उपबंध का अन्त:स्थापन किया जाना आवश्यक है। अत: एक नयी धारा 62क अन्त:स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

धारा 67 मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान किये जाने के संबंध में है। किसी कंपनी द्वारा कारित अपराध हेतु आपराधिक दायित्व नियत किये जाने के लिए धारा 62क इस अधिनियम में नयी अन्त:स्थापित की गयी है। अत: धारा 62क को सम्मिलित करने के लिए धारा 67 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) को संशोधित किया जाना आवश्यक है।

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 राज्य सरकार को समयबद्ध लक्ष्यों सहित राजवित्तीय समेकन का जिम्मा लेकर राज्य-वित्त का राजवित्तीय उत्तरदायी रीति से प्रबंध करने के प्रयोजनार्थ अधिनियमित किया गया था। राजवित्तीय समेकन की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने के लिए सामान्य से अधिक राजस्व बढ़ोतरी वाले वर्षों में राज्य-राजस्व के भाग को अलग रख कर समानीकरण निधि का सृजन करने और ऐसे संचय का राजवित्तीय धनाभाव के वर्षों में उपयोग करने और गरीबी उन्मूलन और विकास के प्रयोजनों के लिए उपबंध किया जाना वांछनीय है।

अवसंरचना विकास उपकर

राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये, ऐसे माल के विक्रय या क्रय पर और ऐसी दरों पर, जो माल की विक्रय या क्रय की कीमत के छह प्रतिशत से अधिक न हो, उपकर उद्ग्रहीत किया जाना समुचित समझा गया। उपकर के आगम, राज्य में अवसंरचना के विकास और अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए उपयोग मे लिए जायेंगे।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।

http://finance.rajasthan.gov.in

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल महोदया की सिफारिश

[सं.प.12(59)वित्त/कर/2014 दिनांक 14.07.2014

प्रेषक: श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर]

राजस्थान की राज्यपाल महोदया ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2014 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के और (3) अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित और प्रचलित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 53 जो राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 में धारा 6क जोड़ने के लिए ईप्सित है, राज्य सरकार को उक्त धारा के अधीन गठित निधि को, उस वर्ष जिसमें राज्य की कर प्राप्तियां पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत से कम होना प्राक्कलित हो और विकास योजनाओं या गरीबी कम करने के कार्यक्रमों में होने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु उपयोग में लेने के लिए प्राधिकृत करता है।

ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए निधि का सृजन और उपयोग किया जाना है, की प्रकृति के कारण ही वर्तमान में यथावत प्राक्कलन नहीं किया जा सकता।

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 9, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 24 को प्रतिस्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को उस धारा के अधीन जारी किये जाने वाले नोटिस का प्ररूप विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 18, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 91 को प्रतिस्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को वह फीस और वह रीति, जिससे व्यवहारी उस धारा के अधीन आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 19, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 95 की उप-धारा (2) को प्रतिस्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को वह रीति, जिससे व्यवहारी द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट को उपयोग में लेने की सहमति देगा, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 26, जो राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 की धारा 4कक को प्रतिस्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को वे शर्तें और रीति, जिससे होटल या रेस्टोरेंट के स्वत्वधारी द्वारा शमन की रकम संदत्त की जा सकेगी, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 30, जो राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 की धारा 8 को प्रतिस्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को वह रीति, जिसमें प्रतिदाय किया जायेगा, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 34, जो राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 2 के खण्ड (xxiii) को प्रतिस्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा, और वह रीति जिससे, सम्पत्ति की कीमत अवधारित की जायेगी, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

विधेयक का खण्ड 35, जो राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 4 को प्रतिस्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को वह रीति जिससे स्टाम्प शुल्क को लिखत पर पृष्ठांकित किया जायेगा, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 59, जो यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को वह रीति जिससे और समय जिसमें, और वह प्राधिकारी जिसको, विवरणियां फाइल की जायेंगी और विवरणियां फाइल करने में विलम्ब फीस संदत्त की जायेगी, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधयेक का खण्ड 61, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करेगा-

(क) वह रीति जिसमें उपकर के आगमों से संबंधित लेखे संधारित किये जायेंगे;

(ख) वह रीति जिससे उपकर के आगमों का धारा 57 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकेगा;

(ग) उपकर के संग्रहण की लागत का अवधारण; या

(घ) साधारणतया इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है और मुख्यत: ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।

http://finance.rajasthan.gov.in

1. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 से लिये गये उद्धरण
(2003 का अधिनियम सं. 4)

XX XX XX XX

3. कर का भार.- (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यवहारी-

(क) जो माल का आयातकर्ता है; या

(ख) जो माल का विनिर्माता है और जिसका वार्षिक पण्यावर्त दो लाख रुपये से अधिक है; या

(ग) जिसका वार्षिक पण्यावर्त दस लाख रुपये से अधिक है,-

इस अधिनियम के अधीन कर देने का दायी होगा।

(2) से (5) XX XX XX

XX XX XX XX

16. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का संशोधन या रद्दकरण.- (1) से (3) XX XX XX

(4) जहां-

(क) कोई भी ऐसा कारबार, जिसके संबंध में कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र किसी व्यवहारी को इस अधिनियम के अधीन मंजूर किया गया है, स्थायी रूप से बन्द कर दिया गया हो; या

(ख) किसी व्यवहारी द्वारा कारबार के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती पहले से इस अधिनियम के अधीन कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारित करता हो; या

(ग) किसी व्यवहारी का इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए और कर संदत्त करने के लिए अपेक्षित होना समाप्त हो गया हो; या

(घ) किसी व्यवहारी ने कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तथ्यों के दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा अभिप्राप्त किया हो; या

(ड.) किसी व्यवहारी ने कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र इस अधिनियम के उपबंधों के विरूद्ध अभिप्राप्त किया हो; या

http://finance.rajasthan.gov.in

(च) कोई व्यवहारी धारा 15 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर-भीतर प्रतिभूति देने में विफल रहा हो और नब्बे दिन की कालावधि व्यपगत हो गयी हो; या

(छ) कोई व्यवहारी मिथ्या या कूटरचित मूपक बीजक जारी करता है; या

(ज) कोई व्यवहारी धारा 91 की उप-धारा (2) के अधीन आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित सूचना, कथन या विवरणी इसके अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर प्रस्तुत करने में विफल हो गया है।

(5) से (6) XX XX XX

XX XX XX XX

18. आगत कर मुजरा.- (1) XX XX XX

(2) आगत कर मुजरा का दावा मूल मूपक बीजक के आधार पर जमा कराये गये कर पर ऐसे बीजक के जारी होने की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर अनुज्ञात किया जायेगा। तथापि, अतिरिक्त कर निक्षेप के आगत कर मुजरा का दावा ऐसा मूपक बीजक के आधार पर भी अनुज्ञात किया जा सकेगा जो किसी भी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के, उच्चतर दर पर कर दर्शाते हुए दिये गये निर्णय के अनुपालन में बाद में जारी किया गया है। यदि प्रथम मूल मूपक बीजक खो जाता है तो आगत कर मुजरा ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, उसकी दूसरी प्रति के आधार पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(3) से (4) XX XX XX

XX XX XX XX

20. कर का संदाय.- (1) XX XX XX

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, संकर्म संविदा के मामले में, अवार्डर के द्वारा कर के बदले में कोई रकम, किसी संविदाकार के संदाय के प्रत्येक बिल में से संविदा के कुल मूल्य के छह प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर से, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, ऐसी रीति से और ऐसी परिस्थितियों के अधीन, जो विहित की जायें, काटी जायेगी और ऐसी राशि विनिर्दिष्ट समय के भीतर और विहित रीति से सरकारी खाते में निक्षिप्त या जमा की जायेगी।

http://finance.rajasthan.gov.in

(2क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, किन्तु उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, राज्य सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम या कंपनी, या अपनी शेयर पूंजी में राज्य सरकार का अंशदान रखने वाली किसी सहकारी सोसाइटी, या किसी नगरपालिका या जिला और खण्ड स्तर की किसी पंचायतीराज संस्था या राज्य विधान-मण्डल की किसी विधि के द्वारा उसके अधीन गठित किसी भी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या कानूनी निकाय को माल का विक्रय करता है, वहां ऐसा विभाग, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम, कंपनी, सहकारी सोसाइटी, नगरपालिका, पंचायतीराज संस्था, स्थानीय प्राधिकारी या, यथास्थिति, कानूनी निकाय विक्रय करने वाले व्यवहारी को संदेय रकम में से ऐसे व्यवहारी द्वारा ऐसे माल पर संदेय कर के बराबर रकम की कटौती करेगा और उसे ऐसी रीति से और ऐसे समय में, जो विहित किया जाये, सरकारी खाते में निक्षिप्त या जमा करेगा:

परन्तु यह कि राज्य सरकार, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विक्रयों या क्रयों के किसी भी वर्ग को इस उप-धारा के उपबंध से छूट दे सकेगी।

(3) से (6) XX XX XX

XX XX XX XX

22. कर निक्षिप्त करने में अथवा विवरणी या लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने पर निर्धारण.- (1) से (3) XX XX XX

(4) इस धारा के अधीन कोई आदेश ऐसी कालावधि, जिसके लिए कर निक्षिप्त नहीं किया गया है, की समाप्ति या, यथास्थिति, ऐसी विवरणी या लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जो प्रस्तुत नहीं की गयी हो, को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से नौ मास की समाप्ति के पश्चात् पारित नहीं किया जायेगा।

23. स्वनिर्धारण.- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिसने विहित समय के भीतर-भीतर उस वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी या लेखापरीक्षा रिपोर्ट फाइल कर दी है, धारा 24 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए धारा 21 के अधीन फाइल की गयी वार्षिक विवरणी के आधार पर या, यथास्थिति, धारा 73 के अधीन फाइल की गयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर उस वर्ष के लिए निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कोई व्यवहारी अपने निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना देकर तिमाही निर्धारण का विकल्प उस वर्ष, जिसके लिए ऐसा विकल्प लिया जा रहा है, के प्रांरभ से तीस दिन के भीतर-भीतर दे सकेगा। ऐसा व्यवहारी, जिसने ऐसा विकल्प दिया है और विहित समय के भीतर विवरणी फाइल कर दी है, धारा 24 के उपबंधों के अध्यधीन, धारा 21 के अधीन फाइल की गयी विवरणी के आधार पर उस तिमाही के लिए जिससे वह सम्बन्धित है, निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा। तथापि, वर्ष 2006-2007 से 2008-2009 तक ऐसा विकल्प विहित रीति से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का अध्यादेश सं. 6) के प्रारम्भ की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर दिया जा सकेगा।

(3) उप-धारा (1) या (2) के अधीन निर्धारित रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों की एक सूची इलेक्ट्रोनिक या प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रकाशित की जा सकेगी और ऐसा प्रकाशन, जहां कहीं भी अपेक्षित हो, ऐसे व्यवहारियों को सम्यक् सूचना समझा जायेगा।

24. निर्धारण.- (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा दी गयी प्रत्येक विवरणी उसकी शुद्धता का सत्यापन करने के लिए ऐसी संवीक्षा के अध्यधीन होगी जो आयुक्त द्वारा अवधारित की जाये और यदि कोई भूल पायी जाती है तो निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी व्यवहारी पर विहित प्ररूप में एक नोटिस ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाये, भूल का सुधार करने और पुनरीक्षित विवरणी फाइल करने के लिए तामील करेगा।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिसने तिमाही निर्धारण का विकल्प दिया है, उप-धारा (1) के अधीन जारी नोटिस के अनुसरण में,-

(क) नोटिस के निबंधनों के अनुसार पुनरीक्षित विवरणी फाइल करता है और कर, यदि कोई हो तो निक्षिप्त कर देता है, वहां उसे ऐसी पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार धारा 23 की उप-धारा (2) के अधीन निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा।

(ख) पुनरीक्षित विवरणी फाइल नहीं करता है या व्यवहारी द्वारा फाइल की गयी विवरणी नोटिस के निबंधनों के अनुसार नहीं है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या

http://finance.rajasthan.gov.in

आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर व्यवहारी का अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करेगा।

(3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी जो उप-धारा (2) के अधीन नहीं आते हैं, उप-धारा (1) के अधीन जारी नोटिस के अनुसरण में,-

(क) यदि नोटिस तिमाही विवरणी के लिए जारी किया जाता है और व्यवहारी नोटिस के निबंधनों के अनुसार पुनरीक्षित विवरणी फाइल कर देता है और कर को, यदि कोई हो, निक्षिप्त कर देता है और वार्षिक विवरणी में कोई अन्य भूल नहीं पायी जाती है तो वह धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा;

(ख) यदि वार्षिक विवरणी के लिए नोटिस जारी किया जाता है और व्यवहारी नोटिस के निबंधनों के अनुसार पुनरीक्षित विवरणी फाइल कर देता है और कर को, यदि कोई हो, निक्षिप्त कर देता है, तो वह ऐसी पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा;

(ग) पुनरीक्षित विवरणी फाइल नहीं करता है या व्यवहारी द्वारा फाइल की गयी विवरणी नोटिस के निबंधनों के अनुसार नहीं है तो निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर व्यवहारी का अपनी सर्वोतम विवेकबुद्धि से निर्धारण करेगा।

(4) राजस्थान वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा हटायी गयी।

(4क) राजस्थान वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा हटायी गयी।

(5) इस धारा के अधीन कोई भी निर्धारण आदेश सुसंगत वर्ष के अंत से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् पारित नहीं किया जायेगा; तथापि, आयुक्त किसी विशिष्ट मामले में, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से ऐसी समय सीमा को छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।

(6) उप-धारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां कोई निर्धारण आदेश किसी अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी या किसी सक्षम न्यायालय के किसी आदेश के परिणामस्वरूप या उसे प्रभावकारी बनाने के लिए पारित किया गया है तो निर्धारण

http://finance.rajasthan.gov.in

प्राधिकारी को ऐसे आदेश की संसूचना के दो वर्ष के भीतर-भीतर उसे पूरा कर लिया जायेगा। तथापि, आयुक्त किसी विशिष्ट मामलें में लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से ऐसी समय सीमा को छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।

25. कर के परिवर्जन या अपवंचन के मामले में निर्धारण.- (1) से (3) XX XX

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां उप-धारा (1) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, वहां ऐसा नोटिस जारी करने वाला प्राधिकारी सुसंगत वर्ष या, यथास्थिति, तिमाही के लिए निर्धारण करने के लिए सक्षम होगा; और पहले से किया गया निर्धारण, यदि कोई हो, इस धारा के अधीन किये गये निर्धारण के अध्यधीन होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "मामला बनाने की तारीख से" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको किसी व्यवहारी को इस धारा के अनुसरण में प्रथम बार कोई नोटिस जारी किया जाता है।

26. छूट गया निर्धारण.- (1) कोई निर्धारण-

(क) ऐसे व्यक्ति का है जो रजिस्ट्रीकरण कराने के दायित्वाधीन है, किन्तु जिसने स्वयं को रजिस्ट्रीकृत नहीं कराया है; या

(ख) जिसमें, किसी भी कारण से, इस अधिनियम के अधीन संदेय कर या किसी भी फीस या राशि का उद्ग्रहण पूर्णत: या भागत: छूट गया है; या

(ग) जिसमें कर किसी भी रूप में या किन्हीं भी परिस्थितियों के अधीन पूर्णत: या भागत: अनिर्धारित या अवनिर्धारित हुआ है,-

कोई छूट गया निर्धारण समझा जायेगा और निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अभिलेख पर की सामग्री के आधार पर या ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, उप-धारा (3) में उपबंधित समय-सीमा के भीतर-भीतर ऐसा निर्धारण पूरा करेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के अधीन के निर्धारण में कारबार का वह भाग सम्मिलित नहीं होगा, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पहले ही निर्धारित हो चुका है या निर्धारित किया हुआ समझा जा चुका है।

(2) XX XX XX

http://finance.rajasthan.gov.in

(3) उप- धारा (1) और (2) के अधीन का कोई भी नोटिस, विवरणी की किसी भी कालावधि के लिए किसी भी छूट गये निर्धारण के संबंध में, सुसंगत विवरणी की कालावधि की समाप्ति से, पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जारी नहीं किया जायेगा और उक्त उप-धाराओ के अधीन के कोई भी निर्धारण आठ वर्ष की समाप्ति के पश्चात् पूरा नहीं किया जायेगा, किन्तु यह परिसीमा किसी अपील प्राधिकरण या कर बोर्ड या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश में अंतर्विष्ट किसी भी निष्कर्ष या निदेश के परिणामस्वरूप या उसे प्रभावी करने के लिए किये जाने वाले किसी भी निर्धारण पर लागू नहीं होगी।

(4) XX XX XX

XX XX XX XX

27. व्यवहारी की लेखापरीक्षा.- (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन को अग्रसर करने की दृष्टि से, आयुक्त ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों के, जो आयुक्त द्वारा किसी मानदण्ड के लागू किये जाने के आधार पर या यदा-कदा चयन आधार पर चयनित किये जाते हैं, या जिनके संबंध में आयुक्त के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि उनके कारबार की विस्तृत संवीक्षा आवश्यक है, कारबार की लेखापरीक्षा की व्यवस्था कर सकेगा।

(2) व्यवहारी की लेखापरीक्षा लेखापरीक्षक द्वारा विहित रीति से की जायेगी।

(3) लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा करते समय धारा 75 के अधीन उपबंधित शक्तियों का प्रयोग करेगा और व्यवहारी की लेखापरीक्षा कालावधि की लेखा पुस्तकों, व्यापार स्टॉक और संबंधित दस्तावेजों की परीक्षा करेगा।

(4) यदि ऐसी लेखापरीक्षा पर, व्यवहारी द्वारा फाइल की गयी विवरणियां सही नहीं पायी जाती हैं या कर के किसी परिवर्जन या अपवंचन का पता चलता है तो लेखापरीक्षक व्यवहारी को पता चले फर्कों का ब्यौरा अंतर्विष्ट करते हुए हेतुक दर्शित करने का नोटिस जारी करेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन जारी किये गये नोटिस का उत्तर प्राप्त होने पर लेखापरीक्षक, व्यवहारी के उत्तर पर विचार करने के पश्चात् उसके कर और अन्य संबंधित दायित्वों का निर्धारण करेगा और ऐसे आदेश को अपने अव्यवहित उच्चाधिकारी से मांग नोटिस के साथ व्यवहारी को उसे जारी करने के पूर्व अनुमोदित करवायेगा। जहां

http://finance.rajasthan.gov.in

व्यवहारी उत्तर देने में विफल रहता है वहां लेखापरीक्षक इस अधिनियम के अधीन व्यवहारी के दायित्व का अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा। ऐसा निर्धारण उस सुसंगत कालावधि के लिए व्यवहारी का निर्धारण समझा जायेगा और पहले से किया गया निर्धारण, यदि कोई हो, इस धारा के अधीन किये गये निर्धारण के अध्यधीन होगा।

XX **XX** **XX** **XX**

38. कर या मांग के संदाय के लिए दायित्व.- (1) से (6) XX XX

(7) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, आयुक्त,

(क) राज्य सरकार की सिफारिश पर, रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) के अधीन गठित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा रूग्ण घोषित किसी औद्योगिक इकाई द्वारा संदेय मांग की वसूली को, ब्याज के संदाय या दर के संबंध में ऐसी सीमा तक, ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी शर्तों पर, आस्थगित कर सकेगा, जो उचित समझी जाये:

(ख) ऐसी जांच कर लेने के पश्चात् जो वह उचित समझे और ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् अधिकतम तीन वर्ष की कालावधि के लिए कर बकाया के संदाय का आस्थगन अनुज्ञात कर सकेगा और तत्पश्चात् ऐसी रूग्ण औद्योगिक इकाइयों और ऐसी औद्योगिक इकाइयों, जो सहज रूग्णता का सामना कर रही हैं, और जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, के मामले में साठ मासिक किस्तों में उनकी वसूली का आदेश कर सकेगा।

XX **XX** **XX** **XX**

53. प्रतिदाय.- (1) से (3) XX XX XX

(4) इस अधिनियम के अधीन प्रतिदेय कोई रकम उस तारीख से, जिसको वह देय हो जाती है, तीस दिवस के भीतर-भीतर प्रतिदत्त दी जायेगी और यदि ऐसी रकम उपरोक्त तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर प्रतिदत्त नहीं की जाती है तो उस पर, उपरोक्त कालावधि की समाप्ति की तारीख से संदाय की तारीख तक, ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, ब्याज देय होगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

(5) से (6) XX XX XX

XX **XX** **XX** **XX**

61. कर के परिवर्जन या अपवंचन के लिए शास्ति.- (1) जहां किसी भी व्यवहारी ने उसके द्वारा दी गयी किसी भी विवरणी से कोई भी विशिष्टियां छिपा ली हों या उसमें जानबूझकर गलत विशिष्टियां दी हों या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संधारित किये जाने के लिए अपेक्षित अपने लेखाओं, रजिस्टरों और अभिलेखों से विक्रय या क्रय के किसी भी संव्यवहार को छिपा लिया हो या किसी भी अन्य रीति से कर का परिवर्जन या अपवंचन किया हो वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा यथा-प्राधिकृत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न रैंक का कोई भी अन्य अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यवहारी, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के अतिरिक्त, परिवर्जित या अपवंचित कर की रकम के दुगुने के बराबर की राशि शास्ति के रूप में संदत्त करेगा।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां किसी व्यवहारी ने आगत कर मुजरा गलत रूप से प्राप्त किया है वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा यथा-प्राधिकृत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न रैंक का कोई भी अन्य अधिकारी आगत कर के ऐसे मुजरे को प्रतिवर्तित कर देगा और ऐसे व्यवहारी पर-

(क) ऐसे मामले में जिसमें ऐसा मुजरा मिथ्या या कूटरचित मूपक बीजक के आधार पर प्राप्त किया जाता है तो ऐसे गलत मुजरे की रकम के चौगुने के बराबर शास्ति; और

(ख) अन्य मामलों में, ऐसे गलत मुजरे की रकम के दुगुने के बराबर शास्ति,-

अधिरोपित करेगा।

XX **XX** **XX** **XX**

67. अपराधों के लिए अभियोजन.- (1) जहां कोई भी व्यक्ति,-

(क) यद्यपि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, तथापि अपने द्वारा किये गये किसी भी विक्रय या क्रय के समय या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या गठित, किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष कोई भी कथन या घोषणा करते समय यह मिथ्या व्यपदेशन करता है कि वह कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी है; या

http://finance.rajasthan.gov.in

(ख) जानते हुए मिथ्या लेखे, विक्रय और क्रय बीजक मूपक बीजक, रजिस्टर या दस्तावेज तैयार करता है या प्रस्तुत करता है या जानते हुए अपने कारबार के संबंध में मिथ्या विवरणियां प्रस्तुत करता है, या इस अधिनियम या नियमों या अधिसूचनाओं के अधीन अभिलिखित किये जाने के लिए अपेक्षित किसी भी कथन में या फाइल किये जाने के लिए अपेक्षित किसी भी घोषणा में कोई मिथ्या प्रकटीकरण या प्रकथन करता है; या

(ग) किसी भी रीति से कर का कपटपूर्ण परिवर्जन या अपवंचन करता है या अपने कर दायित्व को जानबूझकर छिपाता है; या

(घ) किसी भी मांग नोटिस की रकम संदत्त करने में विफल रहता है और उसके द्वारा मांग के नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् कम से कम छह मास की कालावधि व्यपगत हो गयी है;

स्पष्टीकरण.- इस खण्ड के अधीन का कोई भी अपराध तब तक एक सतत अपराध समझा जायेगा जब तक कि पूर्ण संदाय नहीं कर दिया जाता; या

(ङ) धारा 50 और 91 के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस की जानबूझकर अवहेलना करता है; या

(च) इस अधिनियम के अधीन सक्षम अधिकारी को कारबार के स्थान या ऐसे किसी भी अन्य स्थान में, जहां माल या लेखे, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज रखे जाने का विश्वास हो, प्रवेश करने, उसका निरीक्षण करने और तलाशी लेने से किसी भी रीति से रोकता है या बाधा पहुंचाता है, या ऐसे अधिकारी को माल या लेखे, रजिस्टर और दस्तावेज अभिगृहीत करने से रोकता है या बाधा पहुंचाता है; या

(छ) माल का अभिवहन कर रहे ऐसे यान या वाहक को, जिसका वह ड्राइवर या अन्यथा प्रभारी है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निरीक्षण किये जाने के लिए रोकने में विफल रहता है या माल का या माल का अभिवहन कर रहे यान या वाहक का, किसी जांच-चौकी या नाके के प्रभारी या आयुक्त द्वारा उसके कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए इस निमित्त सशक्त अन्य अधिकारी के द्वारा निरीक्षण किये जाने से रोकता है या बाधा पहुंचाता है; या

http://finance.rajasthan.gov.in

(ज) संचलन के दौरान माल के साथ के वाउचरों या मार्ग पत्रकों या माल की रसीदों या अन्य दस्तावेजों में, माल के परेषकों या परेषितियों के गलत या कल्पित नाम या पते या माल का गलत ब्यौरा या गलत विशिष्टियां दर्शित करते हुए किसी भी माल का राजस्थान राज्य में आयात या से निर्यात करता है; या

(झ) आगत कर का गलत मुजरा कपटपूर्वक प्राप्त करता है; या

(ञ) पूर्वोक्त रूप से ऐसे किसी भी अपराध के किये जाने में किसी भी व्यक्ति की सहायता या दुष्प्रेरण करता है;

वहां ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा या किसी भी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा, आयुक्त की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात्, शिकायत किये जाने पर, वह, अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के सादा कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी और पांच हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने से और खण्ड (ख), (ग), (च), (छ) और (झ) के अधीन आने वाले अपराधों के लिए तीन मास के सादा कारावास के न्यूनतम दण्डादेश से दण्डनीय होगा।

(2) से (4) XX XX XX

XX XX XX XX

91. आयुक्त की साधारण शक्तियां.- (1) इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आयुक्त, इस अधिनियम और नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विशिष्टतया या साधारणतया, दिशा-निर्देश निश्चित करने या प्रशासनिक अनुदेश जारी करने के लिए सशक्त होगा।

(2) शासकीय उपयोग के प्रयोजनों के लिए, आयुक्त, किसी भी समाचारपत्र में या ऐसी अन्य रीति से नोटिस देकर, जो वह उचित समझे, सभी व्यवहारियों से या व्यवहारियों के किसी भी वर्ग से या व्यक्तियों से ऐसी सूचना, विवरण या विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जो इस निमित्त जारी किये गये नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये।

XX XX XX XX

95. स्वचलित प्रणाली.- (1) XX XX XX

http://finance.rajasthan.gov.in

(2) जहां कोई भी नोटिस, संसूचना या सूचना किसी स्वचलित डाटा प्रोसेसिंग प्रणाली पर तैयार की जाती है और किसी भी व्यवहारी या व्यक्ति पर समुचित रूप से तामील की जाती है वहां उक्त नोटिस, संसूचना या सूचना पर किसी भी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक नहीं होगा और उक्त नोटिस, संसूचना या सूचना केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि वह किसी ऐसे अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित नहीं है।

XX XX XX XX

96. कर समझौता बोर्ड का गठन.- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन संदेय कर की बकाया मांग, या कर की बकाया, ब्याज या शास्ति से संबंधित ऐसे विवादों, जो विहित किये जायें, को सुलझाने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर समझौता बोर्ड का गठन कर सकेगी जिसमें अध्यक्ष और इतने अन्य सदस्य होंगे जितने वह ठीक समझे; और ऐसा बोर्ड ऐसे विवादों को सुलझाने का तब जिम्मा लेगा जब संबंधित व्यवहारी या व्यक्ति द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाये।

(2) कर समझौता बोर्ड को ऐसी शक्तियां होंगी और वह ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाये।

(3) कर समझौता बोर्ड द्वारा पारित किया गया समझौते का आदेश अंतिम होगा और किसी भी सिविल न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

XX XX XX XX

2. राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 से लिये गये उद्धरण

(1996 का अधिनियम सं. 9)

XX XX XX XX

12. रजिस्ट्रीकरण.- (1) इस अधिनियम के अधीन कर देने का दायी प्रत्येक होटल-वाला समुचित विलास-कर प्राधिकारी से ऐसी रीति से और ऐसे प्ररूप मे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करेगा जो विहित किया जाये।

http://finance.rajasthan.gov.in

(2) से (3) XX XX XX

(4) यदि विलास-कर अधिकारी को इस बात का समाधान हो जाये कि रजिस्ट्रीकरण का आवेदन सही है तो वह आवेदक को रजिस्टर कर लेगा और उसे विहित प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी कर देगा।

(5) से (6) XX XX XX

(7) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत होटलवाला कारबार के रूप मे, स्थान उपलब्ध कराने का अपना क्रियाकलाप बन्द, अन्तरित या अन्यथा व्ययित करता है या जहां वह कर देने का दायी नहीं रहता है वहां विलास-कर अधिकारी स्वप्रेरणा से या ऐसे होटलवाले के विहित प्ररूप में किये गये आवेदन पर, ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को ऐसी तारीख से, जो वह नियमों के अनुसार नियत कर, रद्द कर देगा:

परन्तु होटलवाले के आवेदन पर या अन्यथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के रद्दकरण का प्रभाव होटलवाले के, रद्दकरण की तारीख तक की किसी भी कालावधि के लिए शोध्य कर (जिसके अन्तर्गत कोई भी शास्ति या ब्याज है) देने के दायित्व पर नहीं पडेगा चाहे ऐसा कर (जिसके अन्तर्गत कोई भी शास्ति या ब्याज है) रद्दकरण की तारीख से पूर्व निर्धारित किया गया हो या पश्चात्।

XX XX XX XX

20. ब्याज का उद्ग्रहण.- यदि कोई होटलवाला इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर संदत्त करने के लिए उससे अपेक्षित समय के भीतर-भीतर कर संदत्त नहीं करता है या इस अधिनियम मे उपबन्धित समय के भीतर-भीतर निर्धारण, कर परिशुद्धि, पुनर्निर्धारण या अन्य आदेश के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी मांग को जमा नहीं करता है तो वह उस अंतिम दिन के, जिस तक उसे ऐसा कर या मांग संदत्त कर देनी चाहिये थी, पश्चात् प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए ऐसे कर या मांग की रकम के दो प्रतिशत की दर से ब्याज देने का दायी होगा।

XX XX XX XX

http://finance.rajasthan.gov.in

3. राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 से लिये गये उद्धरण
(1962 का अधिनियम सं. 12)

XX XX XX XX

3. उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत्-शुल्क.- किसी उपभेक्ता द्वारा या उर्जा का उत्पादन करने वाले किसी प्रदायक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के उपयोग या उपभोग के लिए उपभुक्त उर्जा पर दस पैसे यूनिट से अनधिक ऐसी दर से जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किया जाये, संगणित शुल्क (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'विद्युत शुल्क' कहा गया है) राज्य सरकार के लिए उद्गृहीत और उसे संदत्त किया जायेगा:

परन्तु-

(1) किसी उपभोक्ता द्वारा प्रदायक से इतने दिनों से अनधिक किसी कालावधि के लिए, ऐसे प्रयोजन के लिए और इतनी यूनिटों से अधिक के लिए, जो विहित की जायें, अभिप्राय किसी अस्थायी कनेक्शन के अधीन उर्जा के उपभोग के संबंध में शुल्क ऐसी दर से संगणित किया जा सकेगा जो राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर नियत की जायें;

(1-क) इस प्रकार उद्गृहीत शुल्क और प्रति यूनिट प्रभारित शुद्ध दर ऐसी दर से अधिक नहीं होगी जो राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर अधिसूचित की जाये; और

(1-ख) जहां उर्जा किसी कृषक द्वारा किसी मीटर-रहित प्रदाय के अधीन कृषि कार्यो में उपभुक्त की जाये वहां विद्ययुत शुल्क ऐसी दर से उदगृहीत और प्रभारित किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये।

(2) निम्नलिखित द्वारा उपभुक्त उर्जा पर विद्युत शुल्क उद्ग्रहीत नही किया जायेगा-

(क) भारत सरकार;

(ख) भारत सरकार द्वारा किसी रेलवे के संनिर्माण, संधारण या चलाये जाने के सम्बन्ध मे;

http://finance.rajasthan.gov.in

(खख) जहां उर्जा का उत्पादन 100 वोल्ट्स से अनधिक किसी वोल्टेज पर होता है;

(घ) निम्नलिखित वर्ग की संस्थाओं द्वारा, अर्थात:-

(i) अस्पताल या औषधालय जो निजी लाभ के लिए नहीं चलाये जाते हैं,

(ii) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाएं,

(iii) पूजा के सार्वजनिक स्थान,

इस शर्त के अधीन रहते हुए कि वाणिज्यिक या निवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भवनों या भवनों के भागों में उपभुक्त उर्जा पर इस उपखंड के अधीन छूट लागू नहीं होगी।

(3) जब राज्य सरकार का यह मत हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निबंधनों, शर्तों और निर्बंधनों पर, जो अधिसूचना में अधिकथित किये जायें-

(क) (i) उपभोक्ता द्वारा किसी भी उद्योग में माल के विनिर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण या मरम्मत में;

(ii) किसी व्यक्ति द्वारा उसके स्वयं के उपयोग या उपभोग करने के लिए ऊर्जा के उत्पादन में;

(iii) खान अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) में यथा परिभाषित किसी भी खान द्वारा या उसके संबंध में-

उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत् शुल्क को,

(ख) लोक मार्गों पर प्रकाश के प्रयोजनार्थ या उसके संबंध में किसी नगरपालिका, पंचायती राज संस्थाओं या अन्य किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या उसके संबंध में उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत् शुल्क को,

(ग) उपभोक्ताओं के ऐसे अन्य वर्ग द्वारा, जिसे राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये, उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत् शुल्क को,

http://finance.rajasthan.gov.in

चाहे भविष्यलक्षी प्रभाव से या भूतलक्षी प्रभाव से कम कर सकती है या उसमें छूट दे सकती है, तथापि, खण्ड (क) के मामले में इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि इस प्रकार की गयी कोई कमी या छूट वाणिज्यिक या निवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भी परिसर के संबंध में लागू नहीं होगी।

XX **XX** **XX** **XX**

4. राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 से लिये गये उद्धरण (1957 का अधिनियम सं. 24)

XX **XX** **XX** **XX**

3. परिभाषाएं- इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(1) "प्रवेश" में किसी दर्शक के रूप में या किसी श्रोता के रूप में प्रवेश और मनोविनोद के प्रयोजनार्थ किसी मनोरंजन में भाग लेने हेतु प्रवेश सम्मिलित है;

(2) "मनोरंजन स्थल पर प्रवेश" में ऐसे किसी स्थान में प्रवेश सम्मिलित है, जहां किसी मनोरंजन का आयोजन किया जाता है;

2(क) से (4) XX XX XX

(4क) "डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा" से उपग्रह प्रणाली का उपयोग करते हुए टेलीविजन संकेतों को, केबल सेवा जैसे किसी बिचौलिये के माध्यम से गुजारे बिना, सीधे ही ग्राहकों के परिसर में भेजकर बहुचैनल टेलविजन कार्यक्रमों का वितरण करना अभिप्रेत है।

(4कक) से (5) XX XX XX

(6) "मनोरंजन कर" से वह कर अभिप्रेत है जो धारा 4, 4कक और 4ककक के अधीन उद्गृहीत और प्रभारित किया जाए और इसमें धारा 6क के अधीन संदेय अतिरिक्त कर सम्मिलित है;

(6क) XX XX XX

(7) "प्रवेश के लिए शुल्क का संदाय" में निम्नलिखित सम्मिलित है-

http://finance.rajasthan.gov.in

(क) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई संदाय जिसे मनोरंजन के किसी स्थान के एक भाग में प्रवेश दिये जाने के बाद उसके किसी दूसरे भाग में प्रवेश दिया जाता है जिसमें प्रवेश के लिए ऐसा संदाय अपेक्षित है जिस पर कोई कर या कर की ऊंची दर पर किया गया कोई संदाय,

(ख) मनोरंजन स्थान में सीटों या अन्य स्थान के लिए किया गया कोई संदाय,

(ग) किसी मनोरंजन के कार्यक्रम या कथासार के लिए कोई संदाय, और

(घ) मनोरंजन से संबंधित किसी भी प्रयोजन के लिए कोई संदाय जो किसी व्यक्ति से मनोरंजन स्थल पर उसके उपस्थित होने अथवा उपस्थित रहने की शर्त के रूप में अपेक्षित हो और जो मनोरंजन स्थल पर उसके प्रवेश के लिए किये जाने वाले संदाय, यदि कोई हो, के अतिरिक्त हो;

परन्तु इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय मनोरंजन कर या अतिरिक्त मनोरंजन कर या ऐसे किसी भी कर पर कोई भी अधिभार प्रवेश हेतु संदाय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे मनोरंजन कर, अतिरिक्त मनोरंजन कर या अधिभार के कारण देय रकम मनोरंजन स्थल पर प्रवेश को प्राधिकृत करने वाले टिकट पर पृथकत: और अभिव्यक्तत: दिखला दी गयी है।

(8) "स्वत्वधारी' में किसी मनोरंजन के संबंध में, इसके प्रबंध के लिए उत्तरदायी या तत्समय प्रभारी कोई व्यक्ति सम्मिलित है;

(8क) से (11) XX XX XX

(11) "ग्राहक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो उसके द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क के स्वत्वधारी को उपदर्शित किसी स्थान पर केबल टेलीविजन नेटवर्क के संकेत, उनको किसी अन्य व्यक्ति को और पारेषित किये बिना, प्राप्त करता है;

स्पष्टीकरण.- होटलों के मामले में ऐसे प्रत्येक कक्ष या परिसर को, जो केबल टेलीविजन नेटवर्क के संकेत प्राप्त करने की सुविधा से सम्बद्ध है, ग्राहक माना जायेगा।

(12) से (13) XX XX XX

http://finance.rajasthan.gov.in

4. प्रवेश के लिये संदाय पर कर का उद्ग्रहण.- (1) किसी मनोरंजन स्थल पर प्रवेश के लिए समस्त संदायों पर ऐसी दर से, जो प्रवेश के लिए संदाय के 100 प्रतिशत से अधिक न हो और जो किसी भी एक मामले में पांच पैसे से कम न हो और जिसे समय-समय पर राज्य सरकार अधिसूचित करे, उद्गृहीत, वसूल और राज्य सरकार, को संदत्त किया जायेगा, कर की रकम जब भी आवश्यक हो, पांच पैसे के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित की जायेगी, ढाई पैसों या अधिक के भाग को पांच पैसों के रूप में संगणित किया जायेगा और ढाई पैसों से कम को छोड़ दिया जायेगा।

(1क) से (6) XX XX XX

XX XX XX XX

4कक. केबल सेवा पर कर का उद्ग्रहण.- (1) केबल सेवा उपलब्ध कराने वाला किसी केबल टेलीविजन नेटवर्क का स्वत्वधारी छह सौ रुपये प्रति ग्राहक प्रति वर्ष से अनधिक की ऐसी दरों पर मनोरंजन कर का संदाय करने का दायी होगा जो राज्य सरकार इस निमित्त समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित करे।

(2) उप-धारा (1) में की कोई भी बात, राज्य सरकार को किसी गृहस्थी के या होटलों के विभिन्न प्रवर्गों के मनोरंजन के लिए मनोरंजन कर की भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित करने से निवारित नहीं करेगी।

(3) जहां ग्राहक कोई होटल या कोई रेस्टोरेंट है वहां स्वत्वधारी उप-धारा (1) के अधीन संदाय के बदले में राज्य सरकार को समेकित संदाय, ऐसी शर्तों पर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये और ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित करे, संदत्त कर सकेगा और होटलों के भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के लिए समेकित संदाय की भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित की जा सकेंगी।

4ककक. डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा पर कर का उद्ग्रहण.- डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा का स्वत्वधारी, प्रतिग्राहक मासिक अभिदान प्रभार के बीस प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर से, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित करे, मनोरंजन कर संदत्त करने का दायी होगा और ग्राहकों के भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के लिए भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित की जा सकेंगी।

XX XX XX XX

http://finance.rajasthan.gov.in

5ख. कर-निर्धारण.- (1) XX XX XX

(2) यदि धारा 5 की उप-धारा (3) और धारा 5क की उप-धारा (1) के अधीन स्वत्वधारी द्वारा विहित कालावधि के भीतर कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती है या उसके द्वारा प्रस्तुत विवरणी अशुद्ध या अपूर्ण प्रतीत होती है, तो विहित प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, धारा 4, 4क, 4कक, 4ककक और 6क के समस्त या किन्हीं उपबंधों के अधीन देय कर अवधारित करेगा और अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से स्वत्वधारी पर कर निर्धारण करेगा:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कार्रवाई करने के पूर्व स्वत्वधारी को यह साबित करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत कोई विवरणी सही और पूर्ण है या उसकी ओर से कोई विवरणी देय नहीं थी।

(3) XX XX XX

XX XX XX XX

6. मनोरंजन स्थल पर प्रवेश.- (1) इस अधिनियम द्वारा यथा-अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसे किसी व्यक्ति को छोड़कर, जिसे किसी विधि द्वारा या अन्यथा किसी मनोरंजन के संबंध में उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करना पड़ता है, किसी व्यक्ति को संदाय पर ऐसे किसी मनोरंजन स्थल पर जहां संदाय मनोरंजन कर के अध्यधीन होता है, राज्य सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजनार्थ जारी किये गये, छपे हुए, समुदभृत, उत्कीर्ण या आसंजक स्टाम्प (जो पहले प्रयुक्त न हुआ हो) और जो यह बताने वाला हो कि समुचित मनोरंजन कर संदत्त कर दिया गया है, से स्टाम्पित टिकट के बिना प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(2) XX XX XX

(3) उप-धारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी ऐसे मनोरंजन के जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन मनोरंजन कर संदेय है, स्वत्वधारी के आवेदन पर राज्य सरकार उक्त स्वत्वधारी को, ऐसी शर्तों पर जो विहित की जायें:-

(क) उक्त मनोरंजन के संबंध में संदेय कर का किसी नियत राशि के प्रशमन, या

(ख) शोध्य कर की रकम का:-

http://finance.rajasthan.gov.in

(i) स्वत्वधारी द्वारा प्राप्त सकल राशि के ऐसे प्रतिशत के समेकित संदाय द्वारा जो मनोरंजन स्थल पर प्रवेश के लिए संदाय के मद्दे और ऐसे कर के मद्दे, जो राज्य सरकार नियत करे, या

(ii) मनोरंजन स्थल पर प्रवेश के लिए संदायों की विवरणियों के अनुसार और कर के मद्दे, या

(iii) ऐसी किसी यांत्रिक-युक्ति द्वारा, अभिलिखित परिणामों के अनुसार, जो प्रविष्ट व्यक्तियों की संख्या को स्वत: ही रजिस्टर कर लेती है-

संदाय

अनुज्ञात कर सकती है।

(4) XX XX XX

XX XX XX XX

8. कतिपय दशाओं में प्रतिदाय.- यह समाधान हो जाने पर कि किसी मनोरंजन के संपूर्ण शुद्ध आगम लोकोपकारी, धार्मिक या पुण्यार्थ प्रयोजनों के निमित्त दिष्ट हैं और शुद्ध आगमों की संगणना करते समय मनोरंजन के व्यय के मद्दे सकल आगमों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक की कटौती नहीं की गयी है, राज्य सरकार, मनोरंजन के संबंध में संदत्त मनोरंजन कर की रकम, यदि कोई संदत्त हुई हो, स्वत्वधारी को प्रतिसंदत्त कर सकती है।

XX XX XX XX

9-क. कर या शास्ति का संदाय करने में असफल रहने पर ब्याज.- (क) यदि धारा 4, 4क, 4कक, 4ककक या 6क के अधीन संदेय किसी कर की रकम धारा 5 या 5क में उपबंधित रीति से, अनुज्ञात कालावधि के भीतर संदत्त नहीं की जाती है, या

(ख) XX XX XX

XX XX XX XX

10-ख. केबल सेवा कर के अंशदान के लिए शास्ति.- जहां केबल सेवा उपलब्ध कराने वाला केबल टेलीविजन नेटवर्क का स्वत्वधारी, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी किये गये किसी आदेश या निदेश का

http://finance.rajasthan.gov.in

अनुपालन करने में असफल रहा है, वहां वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो हजार रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

XX XX XX XX

5. राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 से लिये गये उद्धरण

(1999 का अधिनियम सं. 13)

XX XX XX XX

3. कर का उद्ग्रहण.- (1) किसी भी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिए लाये गये किसी भी माल के प्रवेश पर कर ऐसी तारीख से और माल के मूल्य के दस प्रतिशतसे अनधिक की ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, उद्गृहीत, संगृहीत और राज्य सरकार को संदत्त किया जायेगा, और भिन्न-भिन्न स्थानीय क्षेत्रों के संबंध में भिन्न-भिन्न तारीखें और भिन्न-भिन्न दरे विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी।

XX XX XX XX

6. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 से लिये गये उद्धरण

(1999 का अधिनियम सं. 14)

XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरूद्ध न हो,-

(i) से (xxii) XX XX XX

(xxiii) ऐसी किसी भी सम्पत्ति के संबंध में, जो लिखत की विषय वस्तु है, "बाजार मूल्य" से वह कीमत, जो ऐसी सम्पत्ति के लिए प्राप्त हुई होती यदि उसे उक्त लिखत के निष्पादन की तारीख को खुले बाजार में बेचा जाता, या लिखत में कथित प्रतिफल, इनमें से जो भी उच्चतर हो, अभिप्रेत है;

(xxiv) से (xxxvii) XX XX XX

XX XX XX XX

http://finance.rajasthan.gov.in